



कार्यालय नगर निगम, जयपुर

(पण्डित दीन दयाल उपाध्याय भवन लालकोटी, जयपुर)


यूनिपोल साइज 16' X 8' एवं 30' X 15' पर विज्ञापन प्रदर्शित करने की लाईसेन्स

की शर्त नीलामी : फरवरी 2014

नगर निगम क्षेत्र में सार्वजनिक स्थलों पर प्रदर्शित किये जाने वाले यूनिपोल (विज्ञापन पट्ट स्थलों) की नीलामी एवं लाईसेन्स की शर्तें :-

- जोन क्षेत्र में स्थित यूनिपोल साइटों के लिए पृथक-पृथक साइटों के आधार पर बोली आमंत्रित की जायेगी एवं एक यूनिपोल रट्टेन्चर पर एक तरफ ही विज्ञापन किया जायेगा।
- निगम क्षेत्र में सार्वजनिक स्थलों पर प्रदर्शित किये जाने वाले 16'X8' फीट साइज के तथा 30'X15' फीट साइज के यूनिपोल साइटों की नीलामी एक वर्ष (01 मार्च 2014 से 29 फरवरी 2015) तक के लिए की जायेगी। अनुज्ञापत्र नीलामी के आधार पर निर्धारित लाईसेन्स फीस पर जारी किया जायेगा। स्वीकृत साइट की नीलामी नगर निगम द्वारा निर्धारित प्रक्रिया एवं विज्ञप्ति कार्यक्रम के अनुसार की जायेगी। नीलामी एक वर्ष के लिए होगी। नवीनीकरण चाहने पर निगम द्वारा लाईसेन्स शुल्क पर गत वर्ष की राशि में 10 प्रतिशत वृद्धि करके यह अवधि दो वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकेगी।
- प्रत्येक 16'X8' फीट साइज के यूनिपोल साइट के लिए रुपये 15,000/- (पन्द्रह हजार रुपये) तथा प्रत्येक 30'X15' फीट साइज के यूनिपोल साइट के लिए 25,000/- (पच्चीस हजार)रु. बातौर अमानता के रूप में नगर निगम कोष में जमा करने होंगे। उच्चतम बोलीदाता को 1/4 राशि मौके पर तुरन्त जमा करवानी होगी एवं अमानता राशि बोलीदाता की 1/4 राशि में समायोजित की जायेगी। असफल बोलीदाताओं को जमा अमानता राशि बोली समाप्ति के तुरन्त बाद वापिस कर दी जायेगी।
- नीलामी के पश्चात प्रत्येक साइट की स्वीकृत उच्चतम बोलीदाता को बोली छूटने के बाद एक चौथाई राशि तुरन्त मौके पर ही निगम कोष में जमा करानी होगी। इसमें असफल रहने पर उसके द्वारा जमा कराई गई राशि जब तक कर पुनः नीलामी की जायेगी तथा ऐसे बोलीदाता / फर्म को आगे नीलामी में भाग लेने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
- 25 प्रतिशत राशि जमा करने पर उच्चतम बोलीदाता को बोली स्वीकृत होने पर यूनिपोल पर विज्ञापन करने का लाईसेन्स जारी किया जायेगा। नीलामी की शेष 75 प्रतिशत राशि लाईसेन्स जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अंदर डीडी या बैंकर चैक द्वारा जमा करानी होगी। आगामी वर्ष 16'X8' फीट के तथा 30'X15' फीट साइज के यूनिपोल साइटों का (01 मार्च 2015 से 29 फरवरी 2016) तक के लिए नवीनीकरण निगम द्वारा किया जा सकेगा परन्तु इसके लिए लाईसेन्स दिनांक पूर्ण होने से दो माह पूर्व नीलामी राशि पर 10 प्रतिशत बढ़ाकर आने वाली राशि की 25 प्रतिशत राशि के साथ आवेदन प्रस्तुत करना होगा एवं निगम द्वारा नवीनीकरण की स्वीकृति जारी करने के 30 दिवस में शेष 75 प्रतिशत राशि का डीडी या बैंकर चैक जमा कराना होगा। अन्यथा लाईसेन्स निरस्त कर पुनः नीलामी की जायेगी। दूसरे वर्ष 16'X8' फीट के तथा 30'X15' फीट साइज के लिए यूनिपोल साइटों का नवीनीकरण (01 मार्च 2016 से 29 फरवरी 2017) तक के नवीनीकरण के लिये पिछले वर्ष की राशि में 10 प्रतिशत बढ़ाकर आने वाली राशि की 25 प्रतिशत राशि के साथ दो माह पूर्व आवेदन प्रस्तुत करना होगा एवं निगम द्वारा स्वीकृति जारी करने के 30 दिवस के भीतर शेष 75 प्रतिशत राशि का डीडी या बैंकर चैक जमा कराना होगा। अन्यथा लाईसेन्स निरस्त कर पुनः नीलामी की जायेगी। नवीनीकरण की राशि 60 दिवस पूर्व समय पर जमा नहीं करने पर ठेका निरस्त कर दिया जायेगा। 60 दिवस पूर्व नवीनीकरण हेतु आवेदन एवं स्वनिर्धारण कर 1/4 राशि का ड्राफ्ट/चैक प्राप्त नहीं होने पर नीलामी सूचना जारी कर दी जाएगी।
- साइट नीलामी किये जाने के पश्चात यूनिपोल लगाने का दायित्व अनुज्ञापत्रधारी का होगा। यूनिपोल लगाना या न लगाना नीलामी की राशि के भुगतान की पूर्व शर्त नहीं होगी। किसी विभाग के आपत्ति होने के कारण अथवा अन्य अड़चन होने के कारण, फर्म द्वारा बिना नगर निगम की अनुमति से, अपनी इच्छा से, स्थल का चयन कर यूनिपोल नहीं लगाया जा सकेगा व उस पर विज्ञापन नहीं किया जा सकेगा। किसी विभाग के आपत्ति होने पर संबंधित विभाग के आपत्ति होने का पत्र संबंधित फर्म द्वारा प्राप्त कर नगर निगम जयपुर को प्रस्तुत करना होगा। नगर निगम साइट लगाने में सहयोग करेगा एवं साइट लगाने में कोई अड़चन हो तो अनुज्ञापत्रधारी को पूर्ण राशि जमा होने के पश्चात् अपनी लिखित आपत्ति पन्द्रह दिवस में दर्ज करानी होगी। इस अवधि के पश्चात् यह माना जायेगा कि यूनिपोल लगाने में कोई आपत्ति या व्यवधान नहीं है एवं इसके पश्चात् आपत्ति मात्र नहीं होगी। बिना निगम स्वीकृति के अन्यत्र स्थान पर लगा हुआ यूनिपोल अवैध माना जायेगा जिसे निगम द्वारा हटवा दिया जायेगा।
- उच्चतम बोलीदाता द्वारा साइट की राशि शर्तानुसार निर्धारित समय पर जमा करने पर बोलीदाता को साइट का अनुज्ञापत्र सूची में अकित स्थल अनुसार साइट प्लान सहित जारी किया जा सकेगा।
- कोई बोलीदाता शर्तों की पालना किए बिना यूनिपोल नहीं लगायेगा। यूनिपोल अनुज्ञापत्रधारी द्वारा या उसके किसी व्यक्ति जिसमें नौकर, अभिकर्ता आदि शामिल हैं। यूनिपोल नीलामी शर्तों/उपविधियों का उल्लंघन किये जाने पर अनुज्ञापत्र निरस्त किया जायेगा। अनुज्ञापत्र निरस्त होने की स्थिति में अनुज्ञापत्रधारी द्वारा ऐसी साइट के पेटे जमा कराई गई समस्त राशि नगर निगम जयपुर के पक्ष में जब की जायेगी। अनुज्ञापत्र निरस्त किये जाने की स्थिति में साइट से अनुज्ञापत्रधारी के यूनिपोल बिना किसी पूर्व सूचना के नगर निगम द्वारा हटाये जाने का अधिकार होगा।
- लाईसेन्स अवधि समाप्ति तिथि को यूनिपोल सम्बन्धित फर्म/व्यक्ति द्वारा स्वयं के खर्चे पर हटवा लिया जायेगा अन्यथा लाईसेन्स अवधि समाप्ति तिथि के तुरन्त बाद निगम द्वारा हटवाने पर 16'X8' यूनिपोल के लिये रु. 30,000/- एवं 30'X15' के यूनिपोल के लिये रु. 60,000/- हजार-खर्च वसूल किया जायेगा एवं यदि यूनिपोल हटवाने की कार्यवाही में यूनिपोल की आंशिक या पूर्णक्षति होगी तो नगर निगम जयपुर की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

10. लाईसेन्स अनुज्ञापत्र के साथ जरी दिए रखें साइट इलाम के अनुसार भवर निगम द्वारा किया गया प्रत्येक जो खंडरेख में ही अग्राय जावेगा। जिसका प्रभारीकरण प्राप्तकर द्वारा किया जाएगा। उनकी दस्तरेख के बिना एवं रख दियेक से सम्बन्धित फर्म द्वारा लगाये गये यूनिपोल को निगम द्वारा बिना पूर्व सूचना के हटाया जा सकेगा एवं जिसका हजार-खर्दा फर्म से दस्तूर किया जावेगा।
11. जयपुर के सौन्दर्यकरण एवं आष्टुनिकीकरण की दृष्टि से 16'X8' यूनिपोल का निर्माण निगम स्पेशिफिकेशन के अनुसार करना होगा एवं 30'X15' साइज के यूनिपोल लगाने से पूर्व डिजाईन एवं स्पेशिफिकेशन फर्म द्वारा MNIT से स्वीकृत कराकर स्वीकृति की प्रतिलिपि नगर निगम में पेश करनी होगी। इसी के अनुसार इनका संधारण (रख रखाव) किया जावेगा।
12. यूनिपोल पर अश्लील एवं आपत्तिजनक विज्ञापन को प्रदर्शित नहीं किया जा सकेगा एवं विजली कनेक्शन व बिल का भुगतान लाईसेन्स को वहन करना होगा।
13. बोलीदाता द्वारा नीलामी में लिये गये प्रत्येक यूनिपोल पर अपनी फर्म का नाम एवं विज्ञापन पटट, साइट नम्बर, पटट पर स्पष्ट तथा दृश्य स्थान पर अनिवार्य रूप से अकित करनी होगी। ऐसा न करने पर यूनिपोल बिना किसी सूचना के नगर निगम द्वारा हटाया जा सकेगा एवं लेबर चार्ज अनुज्ञापत्रधारी से वसूल किया जावेगा। यदि हटाते समय यूनिपोल किसचर की आंशिक या पूर्ण क्षर्ति होगी तो नगर निगम जयपुर की कोई भी जिम्मेदारी नहीं होगी।
14. अनुज्ञापत्रधारी का यह दायित्व होगा कि वह यूनिपोल को मजबूती से स्थापित करे ताकि किसी भी प्राकृतिक विपदा जैसे आपी, तूफान आदि की स्थिति में यूनिपोल नीचे नहीं गिरे। अनुज्ञापत्रधारी द्वारा यह भी ध्यान रखा जावेगा कि यूनिपोल की देखरेख करने का सम्पूर्ण दायेत्व अनुज्ञापत्रधारी का होगा। स्वीकृत साइट पर अन्य किसी के द्वारा विज्ञापन करने की जिम्मेदारी लाईसेन्सधारी की होगी। यूनिपोल गिरने से अथवा किसी दुर्घटना से किसी राहगीर/जनता को होने वाले नुकसान की भरपाई की जिम्मेदारी अनुज्ञापत्रधारी की स्वयं की होगी। नगर निगम की कोई भी जिम्मेदारी नहीं होगी।
15. प्रत्येक अनुज्ञापत्रधारी नगर निगम जयपुर (विज्ञापन) उपविधियां 2004 एवं जयपुर नगर निगम (विज्ञापन) (संशोधन) उपविधियां 2008 के प्रावधानों तथा राज्य सरकार/सक्षम अधिकारी/जयपुर नगर निगम द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेशों एवं निर्देशों की पालना करेंगे।
16. प्रत्येक अनुज्ञापत्रधारी, अनुज्ञापन अधिकारी (लाईसेंसिंग ऑथोरिटी) के आदेश एवं निर्देशों की पालना के लिए बाध्य होगा। इन आदेशों की अपील मुख्य कार्यकारी अधिकारी नगर निगम जयपुर को हो सकेगी।
17. किसी प्राकृतिक आपदा से यदि अनुज्ञापत्रधारी के यूनिपोल मुडकर मार्ग में गिरकर अवरोध पैदा करते हैं तो उन्हें सूचना के दो घंटे के अंदर नियमानुसार खड़ा करने की जिम्मेदारी अनुज्ञापत्रधारी की होगी अन्यथा नगर निगम उस पर अपना कब्जा कर सकेगी।
18. नीलामी की अंतिम बोली स्वीकृत या अस्वीकृत का अधिकार निगम का होगा तथा उसका कारण बताया जाना आवश्यक नहीं होगा।
19. अनुज्ञापत्रधारी उपरोक्त शर्तों की पालना करने के लिए बाध्य होगा एवं किसी भी एक या अधिक शर्तों का उल्लंघन किये जाने पर अनुज्ञापत्रधारी का अनुज्ञापत्र, आयुक्त राजस्व (लाईसेंसिंग ऑथोरिटी) द्वारा निरस्त किया जा सकेगा एवं जमा राशि जब्त की जा सकेगी तथा अनुज्ञापत्रधारी की साइट/साइट्स को बिना किसी पूर्व सूचना के हटाया जा सकेगा।
20. समय-समय पर राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार द्वारा अगर कोई कर/शुल्क प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से देय है अथवा भविष्य में देय होगा तो उसका वहन लाईसेन्सी को ही करना होगा। जिसे निर्धारित अवधि में आवश्यक रूप से जमा कराना होगा तथा पेनल्टी एवं ब्याज की राशि लाईसेंसधारी द्वारा जमा कराई जावेगी।
21. नीलामी में लिए गये किसी भी विज्ञापन पटट के विरुद्ध किसी प्रकार की बकाया राशि अनुज्ञापत्रधारी से नगरपालिका अधिनियम-2009 एवं राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम-1959 या पी.डी.आर. के तहत वसूल की जा सकेगी।
22. इन शर्तों में संशोधन एवं परिवर्तन का अधिकार जयपुर नगर निगम को होगा तथा ऐसा संशोधन/परिवर्तन समस्त अनुज्ञापत्रधारियों को मान्य होगा।
23. इच्छुक व्यक्ति नीलामी से पूर्व साइट स्थल एवं शर्तों का अवलोकन कर लेवे सरकारी बाधा के अलावा अन्य स्थिति अथवा अन्य किसी भी कारण से जमा करवाई गई राशि नगर निगम जयपुर द्वारा नहीं लौटाई जायेगी।
24. यदि किसी न्यायालय के निर्देश के अधीन/जनहित या पुलिस अधीक्षक ट्रेफिक के निर्देशानुसार यातायात में बाधा होने पर किसी साइट को हटाना या शिफ्ट करना पड़े तो ऐसा लाईसेंसधारी को निर्देशानुसार स्वयं के खर्च पर करना होगा।
25. अगर कोई यूनिपोल जनहित में हटाना आवश्यक होगा या यातायात में बाधक होगा या सरकार द्वारा प्रतिबंधित होने के कारण विज्ञापन प्रदर्शित नहीं होने की स्थिति में उक्त अवधि की अनुज्ञापत्र फीस शेष रहे समय की अनुपातिक दर से विज्ञापन उपविधियां-2004 एवं संशोधित विज्ञापन उपविधियां 2008 के अनुसार राशि वापिस करने की कार्यवाही की जावेगी।
26. इस अनुज्ञापत्र के सम्बन्ध में कोई विवाद पक्षकारों के मध्य होगा तो उसका अंतिम निर्णय नगर निगम जयपुर की सक्षम समिति/बोर्ड का होगा जो मान्य होगा।


लाईसेन्सिंग ऑथोरिटी एवं आयुक्त (राजस्व)
नगर निगम जयपुर



कार्यालय नगर निगम, जयपुर

(पण्डित दीन दयाल उपाध्याय भवन लालकोठी, जयपुर)

द्राईएंग्यूलर साईनेज पर विज्ञापन प्रदर्शित करने की लाईसेन्स की शर्तें नीलामी : फरवरी 2014

नगर निगम क्षेत्र में सार्वजनिक स्थलों पर प्रदर्शित किये जाने वाले द्राईएंग्यूलर साईनेज (ऑयलैण्डों पर) साइट्स की नीलामी एवं लाईसेन्स की शर्तें :-

1. नगर निगम क्षेत्र में स्थित द्राईएंग्यूलर साईनेज (ऑयलैण्डों पर) साइट्स के लिए एकजाई साइटों के आधार पर बोली आमंत्रित की जायेगी।
2. निगम क्षेत्र में सार्वजनिक स्थलों पर प्रदर्शित किये जाने वाले द्राईएंग्यूलर साईनेज (ऑयलैण्डों पर) साइट्स की नीलामी एक वर्ष (01 मार्च 2014 से 29 फरवरी 2015) तक के लिए की जावेगी, जिसकी स्वीकृत सूची के अनुसार होगी। अनुज्ञापत्र नीलामी के आधार पर निर्धारित लाईसेन्स फीस पर जारी किया जावेगा। स्वीकृत साइट की नीलामी नगर निगम द्वारा निर्धारित प्रक्रिया एवं विज्ञप्ति कार्यक्रम के अनुसार की जावेगी। नीलामी एक वर्ष के लिए होगी। नवीनीकरण चाहने पर निगम द्वारा लाईसेन्स शुल्क पर 10 प्रतिशत वृद्धि करके यह अवधि दो वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकेगी।
3. प्रत्येक के द्राईएंग्यूलर साईनेज (ऑयलैण्डों पर) साइट्स प्रति साइट के लिए 5,000/- रु. बतौर अमानता के रूप में नगर निगम कोष में जमा कराने होंगे। उच्चतम बोलीदाता की अमानता राशि बोलीदाता की 1/4 राशि में समायोजित की जावेगी। जिस फर्म ने नीलामी में कोई साइट नहीं ली है उसको अमानता राशि नीलामी के पश्चात् वापिस कर दी जावेगी।
4. नीलामी के पश्चात् एकजाई साइट्स की स्वीकृत उच्चतम बोलीदाता को बोली छूटने के बाद एक चौथाई राशि तुरन्त मौके पर ही निगम कोष में जमा करानी होगी। इसमें असफल रहने पर उसके द्वारा जमा कराई गई राशि जब्त कर पुनः नीलामी की जावेगी तथा ऐसे बोलीदाता/फर्म को आगे नीलामी में भाग लेने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
5. 25 प्रतिशत राशि जमा कराने पर उच्चतम बोलीदाता को बोली स्वीकृत होने पर द्राईएंग्यूलर साईनेज (ऑयलैण्डों पर) विज्ञापन करने का लाईसेंस जारी किया जावेगा। नीलामी की शेष 75 प्रतिशत राशि लाईसेंस जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अंदर डीडी या बैंकर चैक द्वारा जमा करानी होगी। आगामी वर्ष द्राईएंग्यूलर साईनेज (ऑयलैण्डों पर) साइटों का (01 मार्च 2015 से 29 फरवरी 2016) तक के लिए नवीनीकरण निगम द्वारा किया जा सकेगा परन्तु इसके लिए लाईसेंस दिनांक पूर्ण होने से दो माह पूर्व नीलामी राशि पर 10 प्रतिशत बढ़ाकर आने वाली राशि की 25 प्रतिशत राशि के साथ आवेदन प्रस्तुत करना होगा एवं निगम द्वारा नवीनीकरण की स्वीकृति जारी करने के 30 दिवस में शेष 75 प्रतिशत राशि का डीडी या बैंकर चैक जमा कराना होगा। अन्यथा लाईसेंस निरस्त कर पुनः नीलामी की जावेगी। दूसरे वर्ष हेतु द्राईएंग्यूलर साईनेज (ऑयलैण्डों पर) साइटों का नवीनीकरण (01 मार्च 2016 से 29 फरवरी 2017) तक के नवीनीकरण के लिये पिछले वर्ष की राशि में 10 प्रतिशत बढ़ाकर आने वाली राशि की 25 प्रतिशत राशि के साथ दो माह पूर्व आवेदन प्रस्तुत करना होगा एवं निगम द्वारा स्वीकृति जारी करने के 30 दिवस के भीतर शेष 75 प्रतिशत राशि का डीडी या बैंकर चैक जमा कराना होगा। अन्यथा लाईसेंस निरस्त कर पुनः नीलामी की जावेगी। नवीनीकरण की राशि 60 दिवस पूर्व समय पर जमा नहीं कराने पर ठेका निरस्त कर दिया जावेगा। 60 दिवस पूर्व नवीनीकरण हेतु आवेदन एवं स्वनिर्धारण कर 1/4 राशि का ड्राफ्ट/चैक प्राप्त नहीं होने पर नीलामी सूचना जारी कर दी जाएगी।
6. साइट नीलामी किये जाने के पश्चात् द्राईएंग्यूलर साईनेज (ऑयलैण्डों पर) साइट्स लगाने का दायित्व अनुज्ञापत्रधारी का होगा। द्राईएंग्यूलर साईनेज (ऑयलैण्डों पर) साइट्स लगाना या न लगाना नीलामी की राशि के भुगतान की पूर्व शर्त नहीं होगी। नगर निगम साइट लगाने में सहयोग करेगा एवं साइट लगाने में कोई अड्डन हो तो अनुज्ञापत्रधारी को पूर्ण राशि जमा होने के पश्चात् आपत्ति यन्द्रह दिवस में दर्ज करानी होगी। इस अवधि के पश्चात् यह माना जावेगा कि द्राईएंग्यूलर साईनेज (ऑयलैण्डों पर) साइट्स लगाने में कोई आपत्ति या व्यवधान नहीं है एवं इसके पश्चात् आपत्ति मान्य नहीं होगी।
7. द्राईएंग्यूलर साईनेज (ऑयलैण्ड पर) साइट की साईज त्रिभुजा (तीनों तरफ) 3'X10' फुट होगी जिसमें 3'X6' फुट (तीन तरफ) विज्ञापन, 3'X2' फुट (तीन तरफ) घड़ी व तापमान एवं 3'X2' फुट (तीन तरफ) नगर निगम स्लोगन एवं बिजली कनेक्शन, बिल का भुगतान व अन्य खर्च लाईसेंसी को वहन करना होगा।
8. उच्चतम बोलीदाता द्वारा साइट की राशि शर्तानुसार निर्धारित समय पर जमा कराने पर बोलीदाता को साइट का अनुज्ञापत्र साइट प्लान सहित जारी किया जा सकेगा।
9. कोई बोलीदाता शर्तों की पालना किए बिना द्राईएंग्यूलर साईनेज (ऑयलैण्डों पर) साइट्स नहीं लगायेगा। द्राईएंग्यूलर साईनेज (ऑयलैण्डों पर) साइट्स अनुज्ञापत्रधारी द्वारा या उसके किसी व्यक्ति जिसमें नीकर, अधिकर्ता आदि शामिल हैं। द्राईएंग्यूलर साईनेज (ऑयलैण्डों पर) साइट्स नीलामी शर्तों/उपविधियों का उल्लंघन किये जाने पर अनुज्ञापत्र निरस्त किया जावेगा। अनुज्ञापत्र निरस्त होने की स्थिति में अनुज्ञापत्रधारी द्वारा ऐसी साइट के पेटे जमा कराई गई समस्त राशि नगर निगम जयपुर के पक्ष में जब्त की जावेगी। अनुज्ञापत्र निरस्त किये जाने की स्थिति में साइट से अनुज्ञापत्रधारी के द्राईएंग्यूलर साईनेज (ऑयलैण्डों पर) साइट्स बिना किसी पूर्व सूचना के नगर निगम द्वारा हटाये जाने का अधिकार होगा।
10. लाईसेंस अवधि समाप्ति पर द्राईएंग्यूलर साईनेज (ऑयलैण्डों पर) साइट्स नहीं हटाने पर, निगम हटा सकेगा एवं हर्जा-खर्ची लाईसेन्सधारी फर्म से दसूल किया जावेगा।

11. द्राईरेंग्यूलर साइटेज (ऑयलैण्डों पर) साइट्स अनुज्ञापन के स्थान लाई एवं रद्द करने का अनुसार तथा हटाया जा सकेगा एवं जिसका हजारी-खर्चों फर्म से वसूल किया जावेगा।
12. जयपुर के सौन्दर्यकरण एवं अधुनिकीकरण की दृष्टि से द्राईरेंग्यूलर साइनेज (ऑयलैण्डों पर) साइट्स का निर्माण निगम द्राईरेंग्यूलर के अनुसार करना होगा। इससे भिन्न रूप से लगाये गये द्राईरेंग्यूलर साइनेज (ऑयलैण्डों पर) साइट्स लगाने से पूर्व डिजाईन एवं स्पेशिफिकेशन फर्म द्वारा MNIT से स्वीकृत कराकर खीकृति की प्रतिलिपि नगर निगम में पेश करनी होगी। इसी ऐ अनुसार बनाना होगा एवं इनका रंगारण (रख रखाव) गिया जावेगा।
13. द्राईरेंग्यूलर साइनेज (ऑयलैण्डों पर) साइट्स पर अश्लील एवं आपात्तिजनक दिजापन को प्रदर्शित नहीं किया जा सकेगा एवं विजली कनेक्शन व बिल का भुगतान लाईसेन्सी को बहन करना होगा।
14. बोलीदाता द्वारा नीलामी में लिये गये प्रत्येक द्राईरेंग्यूलर साइनेज (ऑयलैण्डों पर) साइट्स पर अपनी फर्म का नाम एवं विजापन पट्ट, साइट नम्बर, पट्ट पर स्पष्ट तथा दृश्य स्थान पर अनिवार्य रूप से अकित करनी होगी। ऐसा न करने पर द्राईरेंग्यूलर साइनेज (ऑयलैण्डों पर) साइट्स बिना किसी सूचना के नगर निगम द्वारा हटाया जा सकेगा एवं लेबर चार्ज अनुज्ञापत्रधारी से वसूल किया जावेगा।
15. अनुज्ञापत्रधारी का यह दायित्व होगा कि वह द्राईरेंग्यूलर साइनेज (ऑयलैण्डों पर) साइट्स को मजबूती से स्थापित करे ताकि किसी भी प्राकृतिक विपदा जैसे आंधी, तूफान आदि की रिख्ति में द्राईरेंग्यूलर साइनेज (ऑयलैण्डों पर) साइट्स नीचे नहीं गिरे। अनुज्ञापत्रधारी द्वारा यह भी ध्यान रखा जावेगा कि द्राईरेंग्यूलर साइनेज (ऑयलैण्डों पर) साइट्स की देखरेख करने का सम्पूर्ण दायित्व अनुज्ञापत्रधारी का होगा। स्वीकृत साइट पर अन्य किसी के द्वारा विजापन करने की जिम्मेदारी लाईसेन्सधारी की होगी। द्राईरेंग्यूलर साइनेज (ऑयलैण्डों पर) साइट्स गिरने से अथवा किसी दुर्घटना से किसी राहगीर/जनता को होने वाले नुकसान की भरपाई की जिम्मेदारी अनुज्ञापत्रधारी की रखयं की होगी। नगर निगम की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
16. प्रत्येक अनुज्ञापत्रधारी, अनुज्ञापन अधिकारी यह दायित्व अपने उपविधियां 2004 एवं जयपुर नगर निगम (विजापन) (संशोधन) उपविधियां 2008 के प्रावधानों तथा राज्य सरकार/सक्षम अधिकारी/जयपुर नगर निगम द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेशों एवं निर्देशों की पालना करेंगे।
17. प्रत्येक अनुज्ञापत्रधारी, अनुज्ञापन अधिकारी (लाईसेंसिंग ऑथोरिटी) के आदेश एवं निर्देशों की पालना के लिए बाध्य होगा। इन आदेशों की अपील मुख्य कार्यकारी अधिकारी नगर निगम जयपुर को हो सकेगी।
18. किसी प्राकृतिक आपदा से यदि अनुज्ञापत्रधारी के द्राईरेंग्यूलर साइनेज (ऑयलैण्डों पर) साइट्स मुड़कर मार्ग में गिरकर अवरोध पैदा करते हैं तो उन्हें सूचना के दो घंटे के अंदर नियमानुसार खड़ा करने की जिम्मेदारी अनुज्ञापत्रधारी की होगी अन्यथा नगर निगम उस पर अपना कब्जा कर सकेगी।
19. नीलामी की अंतिम बोली स्वीकृत या अस्वीकृत का अधिकार निगम का होगा तथा उसका कारण बताया जाना आवश्यक नहीं होगा।
20. अनुज्ञापत्रधारी उपरोक्त शर्तों की पालना करने के लिए बाध्य होगा एवं किसी भी एक या अधिक शर्तों का उल्लंघन किये जाने पर अनुज्ञापत्रधारी का अनुज्ञापत्र, आयुक्त राजस्व (लाईसेंसिंग ऑथोरिटी) द्वारा निरस्त किया जा सकेगा एवं जमा राशि जब्त की जा सकेगी तथा अनुज्ञापत्रधारी की साइट/साइट्स को बिना किसी पूर्व सूचना के हटाया जा सकेगा।
21. समय-समय पर राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार द्वारा अगर कोई कर/शुल्क प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से देय है अथवा भविष्य में देय होगा तो उसका बहन लाईसेंसी को ही करना होगा। जिसे नियमित अवधि में आवश्यक रूप से जमा कराना होगा तथा पेनल्टी एवं व्याज की राशि लाईसेंसधारी द्वारा जमा कराई जावेगी।
22. नीलामी में लिए गये किसी भी विजापन पट्ट के विलद्ध किसी प्रकार की बकाया राशि अनुज्ञापत्रधारी से नगरपालिका अधिनियम-2009 एवं राजस्वान् भू-राजस्व अधिनियम-1959 या पी.डी.आर. के तहत वसूल की जा सकेगी।
23. इन शर्तों में संशोधन एवं परिवर्तन का अधिकार जयपुर नगर निगम को होगा तथा ऐसा संशोधन/परिवर्तन समस्त अनुज्ञापत्रधारियों को मान्य होगा।
24. इच्छुक व्यक्ति नीलामी से पूर्व साइट स्थल एवं शर्तों का अवलोकन कर लेवें सरकारी बाधा के अलावा अन्य स्थिति में कोई राशि वापस नहीं होगी।
25. यदि किसी न्यायालय के निर्देश के अधीन/जनहित या पुलिस अधीक्षक ट्रेफिक के निर्देशानुसार यातायात में बाधा होने पर किसी साइट को हटाना या शिष्ट करना पड़े तो ऐसा लाईसेंसधारी को निर्देशानुसार स्वयं के खर्च पर करना होगा।
26. अगर कोई द्राईरेंग्यूलर साइनेज (ऑयलैण्डों पर) साइट्स जनहित में हटाना आवश्यक होगा या यातायात में बाधक होगा या सरकार द्वारा प्रतिबंधित होने के कारण विजापन प्रदर्शित नहीं होने की स्थिति में उक्त अवधि की अनुज्ञापत्र फीस शेष रहे समय की अनुपातिक दर से विजापन उपविधियां-2004 एवं संशोधित विजापन उपविधियां-2008 के अनुसार राशि वापिस करने की कायेवाही की जावेगी।
27. इस अनुज्ञापत्र के सम्बन्ध में कोई विवाद पक्षकारों के मध्य उठता है तो उसका क्षेत्राधिकार जयपुर स्थित सक्षम न्यायालय में होगा।
28. सभी द्राईरेंग्यूलर साइनेज (ऑयलैण्डों पर) साइट्स जिनको सही हालत में रखना होगा एवं साइट पर फर्म का नाम एवं साइट संख्या लिखना अनिवार्य होगा।
29. लाईसेंस की शर्तों के सम्बन्ध में यदि कोई विवाद पक्षकारों के मध्य होगा तो उसका अंतिम निर्णय नगर निगम जयपुर की सक्षम समिति/बोर्ड का होगा जो मान्य होगा।

लाईसेंसिंग ऑथोरिटी एवं आयुक्त राजस्व

नगर निगम जयपुर



कार्यालय नगर निगम, जयपुर


(पण्डित दीन दयाल उपाध्याय भवन लालकोठी, जयपुर)

(3)

पुलिस छतरियों एवं गुमटियों पर विज्ञापन प्रदर्शित करने की लाईसेन्स की शर्तें नीलामी : फरवरी 2014

- निगम द्वेष में निर्मित पुलिस छतरियों एवं गुमटियों पर विज्ञापन प्रदर्श एवं संधारण हेतु नीलामी जोन वाईज एक वर्ष के लिए की जावेगी जो लाईसेन्स जारी किये जाने की दिनांक से मानी जावेगी। पुलिस छतरियों एवं पुलिस गुमटियों की सूची निगम वेबसाइट: www.jaipur.mc.org की होर्डिंग साईट पर देखी जा सकती है।
- नगर निगम जयपुर में निर्मित पुलिस छतरियों एवं गुमटियों की जोन वाईज खुली नीलामी हेतु अमानत राशि निम्नानुसार होगी – सिविल लाईन जोन हेतु रु. 2 लाख, विद्याधर नगर जोन हेतु रु. 1.5 लाख, सागानेर जोन हेतु रु. 1 लाख, मानसरोवर जोन हेतु 2 लाख, हवामहल पूर्व जाने हेतु 2 लाख, मोती ढूंगरी जोन हेतु 5 लाख, आमेर जोन हेतु 75000 रु. एवं हवामहल पश्चिम जोन हेतु रु. 75000 अमानत के रूप में नगर निगम कोष में अग्रिम जमा कराने होंगे जो ठेका समाप्ति अवधि तक जमा रहेंगे।
- पुलिस छतरियों एवं गुमटियों की नीलामी नगर निगम जयपुर द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार की जावेगी। खुली नीलामी के आधार पर शर्तों के अनुसार राशि जमा होने पर अनुज्ञापत्र जारी किया जायेगा।
- प्रथम, द्वितीय व तृतीय उच्चतम बोलीदाता को छोड़कर शेष बोलीदाताओं की अमानत राशि बोली समाप्ति पर लौटा दी जावेगी। सफल बोलीदाता की 1/4 राशि जमा होने पर द्वितीय एवं तृतीय बोलीदाताओं की जमा अमानत राशि लौटा दी जावेगी। सफल बोलीदाता की 1/4 राशि जमा नहीं होने पर अमानत राशि जब्त करली जावेगी।
- उच्चतम बोलीदाता द्वारा 25 प्रतिशत राशि अगले कार्यदिवस को डी.डी./बैंकर्स चैक के द्वारा जमा करानी होगी। उच्चतम बोलीदाता को बोली स्वीकृत होने पर पुलिस छतरियों एवं गुमटियों पर विज्ञापन करने का लाईसेन्स जारी किया जावेगा। नीलामी की शेष 75 प्रतिशत राशि एवं केन्द्र सरकार की सर्विस टैक्स राशि लाईसेन्स जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अंदर डी.डी./बैंकर्स चैक के माध्यम से जमा करानी होगी। लाईसेन्स अवधि पारस्परिक सहमति से लाईसेन्स शुल्क पर पूर्ववर्ती वर्ष की राशि में 10 प्रतिशत वृद्धि करके अधिकतम दो वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकेगी। जिसके लिए संवेदक को लाईसेन्स दिनांक पूर्ण होने से दो माह पूर्व पिछले वर्ष की राशि पर 10 प्रतिशत बढ़ाकर आने वाली राशि की 25 प्रतिशत राशि के साथ आवेदन प्रस्तुत करना होगा एवं निगम द्वारा नवीनीकरण की स्वीकृति जारी करने के 30 दिवस में शेष 75 प्रतिशत राशि जमा करानी होगी। नवीनीकरण की राशि समय पर जमा नहीं कराने पर ठेका अवधि समाप्ति के दिन ही निरस्त कर दिया जायेगा।
- पर्याप्त बोली राशि प्राप्त नहीं होने अथवा अन्य कारणों से नीलामी तिथि को आगे बढ़ाने का अथवा आगामी तिथि में जारी रखने का अधिकार नगर निगम जयपुर को होगा।
- अनुज्ञापत्रधारी को शर्तों के अनुबंध पर लाईसेन्स जारी होने के 15 दिवस के भीतर हस्ताक्षर कर प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
- पुलिस छतरियों व गुमटियों पर किसी भी तरह के अश्लील, आपत्तिजनक एवं अवैध विज्ञापन यथा अवैध प्रिंटिंग/लिखावट/बैनर्स लगाना, पोस्टर्स, पम्पलेट्स, पतंग, आदि को लगाते ही तुरन्त हटवाने/पुतवाने का दायित्व संवेदक का होगा अन्यथा नगर निगम जयपुर द्वारा उपरोक्त तरह के अवैध/अश्लील/आपत्तिजनक विज्ञापन हटवाने पर प्रति पुलिस छतरी/गुमटी 500 रु. कैरिंग चार्ज वसूल किया जायेगा जो नोटिस में उल्लेखित अवधि में जमा नहीं कराने पर अमानत राशि से कैरिंग चार्ज की कटौती की जावेगी।
- ठेका समाप्ति पर पुलिस छतरियों एवं गुमटियों नगर निगम जयपुर की सम्पत्ति होगी उन पर किये गये सम्पूर्ण विज्ञापनों को साफ करवाकर/हटवाकर सही हालत में ठेका समाप्ति तिथि के अगले दिन जोन कार्यालयों को सम्मलवानी होगी अन्यथा प्रति गुमटी/छतरी रु. 500 विज्ञापन हटवाने/ साफ करवाने का हर्ज खर्च संबंधित जोन कार्यालय द्वारा वसूल किया जावेगा तथा निगम को विज्ञापन प्रदर्श हटवाने तक जितने दिन तक विज्ञापन प्रदर्श होगा उतने दिन की आनुपातिक राशि ठेकेदार द्वारा जमा करानी होगी। छतरियों एवं गुमटियों के छोरी हो जाने, टूट जोन, नष्ट होने पर छतरी/गुमटी संवेदक द्वारा बनाकर सुपुर्द करनी होगी।
- नगर निगम द्वारा स्वीकृत पुलिस गुमटियों/छतरियों की संख्या में किसी कारण से कमी होती है तो अनुज्ञापत्रधारी यातायात पुलिस की सहमति से स्वयं के खर्च पर स्वीकृत संख्या तक पुलिस गुमटी/छतरी स्थापित कर सकेगा।
- यातायात पुलिस विभाग द्वारा अथवा नगर निगम जयपुर द्वारा अतिरिक्त पुलिस छतरियां/यातायात पुलिस गुमटियों लगवाने का पत्र प्राप्त होने पर अनुज्ञापत्रधारी को निर्धारित ड्राइंग अनुसार नई पुलिस छतरियां एवं नयी

- पुलिस गुमटियों द्वारा कर स्थापित करनी होगी। इसकी अनुमति द्वारा दी गयी निगम कोई न जमा करनी ही है।
12. पुलिस छतरियों के संबंध में दो उपरी एवं दो निचली साईड नर निगम द्वारा दी गयी ड्राईग के अनुसार ठिकापन करने का अधिकार अनुज्ञापत्रधारी को होगा। शेष भाग यातायात विभाग से अनुमोदित श्लोगन सदेदकों को पर विज्ञापन एवं 50 प्रतिशत हिस्से पर ट्रेफिक पुलिस छतरियों एवं गुमटियों पर 50 प्रतिशत हिस्से पर विज्ञापन एवं 50 प्रतिशत हिस्से पर विज्ञापन द्वारा जारी किये श्लोगन के लिए आरक्षित रखना होगा।
 13. पुलिस छतरियों एवं पुलिस गुमटियों को स्थापित करने हेतु पानी, बिजली व अन्य सुविधाओं, वस्तुओं की व्यवस्था अनुज्ञापत्रधारी को स्वयं के खर्च पर करनी होगी। नगर निगम जयपुर द्वारा इसके लिए कोई खर्च अनुज्ञापत्रधारी को नहीं दिया जायेगा। पुलिस छतरियों एवं पुलिस गुमटियों में बिजली कनेक्शन लेने एवं बिजली उपभोग के दिल का भुगतान अनुज्ञापत्रधारी को करना होगा।
 14. पुलिस छतरी एवं गुमटी की स्थापना के रागय किसी तरह की फृटपाथ, रोड, भूमि, टाइल्स आदि के नुकसान के लिए सम्बन्धित अनुज्ञापत्रधारी जिम्मेदार होगा, नगर निगम जयपुर किसी भी तरह जिम्मेदार नहीं होगा।
 15. अनुज्ञापत्रधारी को पुलिस छतरियों एवं पुलिस गुमटियों पर क्रम संख्या एवं जोन का नाम लिखना अनिवार्य होगा एवं उपरोक्तानुसार सूची मुख्यालय एवं जोन में प्रस्तुत करनी होगी।
 16. सरकारी योजना के कारण अथवा किसी अन्य कारण से पुलिस गुमटी/छतरी हटा दी गयी हो अथवा मौके पर नहीं हो/अन्यत्र शिफ्ट करनी पड़े तो अनुज्ञापत्रधारी को स्वयं यातायात पुलिस से तालमेल कर नये स्थान पर गुमटी/छतरी स्वयं के खर्च पर स्थापित कर सकेगा। इसकी सूचना निगम में देनी होगी तथा इस प्रकार संवेदक को होने वाली किसी भी आर्थिक हानि के लिए निगम जिम्मेदार नहीं होगा।
 17. पुलिस छतरी/गुमटी गिरने से किसी व्यक्ति/संस्था/विभाग/किसी चल व अचल सम्पत्ति का नुकसान होने पर नुकसान की भरपायी का दायित्व अनुज्ञापत्रधारी स्वयं का होगा, नगर निगम जयपुर की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। अनुज्ञापत्रधारी द्वारा यदि कोई पुलिस कार्यवाही करनी हो अथवा कोई न्यायिक कार्यवाही करनी हो तो स्वयं के स्तर पर करनी होगी। यदि अनुज्ञापत्रधारी के विरुद्ध किसी न्यायालय में कोई मामला/वाद किसी व्यक्ति/संस्था द्वारा दायर किया जाता है तो उसके संबंध में कार्यवाही का दायित्व अनुज्ञापत्रधारी का ही होगा, नगर निगम जयपुर की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
 18. अनुज्ञापत्रधारी नगर निगम जयपुर (विज्ञापन) उपविधियां 2004 एवं जयपुर नगर निगम (विज्ञापन) (संशोधन) उपविधियां 2008 के प्रावधानों तथा राज्य सरकार/सक्षम अधिकारी/नगर निगम जयपुर द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेशों एवं निर्देशों की पालना करने हेतु बाध्य होगा।
 19. प्रत्येक अनुज्ञापत्रधारी, अनुज्ञापन अधिकारी (लाईसेंसिंग ऑथोरिटी) के आदेश एवं निर्देशों की पालना के लिए बाध्य होगा। इन आदेशों की अपील मुख्य कार्यकारी अधिकारी नगर निगम जयपुर को हो सकेगी।
 20. नीलामी की अंतिम बोली को नगर निगम जयपुर द्वारा स्वीकृति पश्चात राज्य सरकार के अनुमोदन पत्र प्राप्त होने पर ही सम्बन्धित व्यक्ति/फर्म/ठेकेदार को कार्यादेश जारी किया जा सकेगा। उसके बाद ही अनुज्ञापत्रधारी द्वारा पुलिस छतरियों एवं पुलिस गुमटियों पर विज्ञापन प्रदर्शित कर सकेगा।
 21. नीलामी की अंतिम बोली स्वीकृत या अस्वीकृत करने का अधिकार निगम का होगा तथा उसका कारण बताया जाना आवश्यक नहीं होगा।
 22. समय-समय पर राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार द्वारा अगर कोई कर/शुल्क प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से देय है अथवा भविष्य में देय होगा तो उसका वहन लाईसेंसी को ही करना होगा। जिसे निर्धारित अवधि में आवश्यक रूप से जमा करना होगा, तथा पेनल्टी एवं ब्याज की राशि लाईसेंसधारी द्वारा जमा कराई जावेगी।
 23. अनुज्ञापत्रधारी उपरोक्त शर्तों की पालना करने के लिए बाध्य होगा एवं किसी भी एक या अधिक शर्तों का उल्लंघन किये जाने पर अनुज्ञापत्रधारी का अनुज्ञापत्र, आयुक्त (राजस्व) (लाईसेंसिंग ऑथोरिटी) द्वारा निरस्त किया जा सकेगा।
 24. इन शर्तों में संशोधन एवं परिवर्तन का अधिकार नगर निगम जयपुर को होगा तथा ऐसा संशोधन/परिवर्तन अनुज्ञापत्रधारी को मान्य होगा तथा अनुज्ञापत्रधारी को पालना करनी होगी।
 25. इस अनुज्ञापत्र के सम्बन्ध में कोई विवाद होता है तो उसका क्षैत्रिकार जयपुर स्थित सक्षम न्यायालय होगा।
 26. लाईसेंस की शर्तों के सम्बन्ध में यदि कोई विवाद पक्षकारों के मध्य होगा तो उसका अंतिम निर्णय नगर निगम जयपुर की सक्षम समिति/बोर्ड का होगा जो मान्य होगा।



लाईसेंसिंग ऑथोरिटी एवं
आयुक्त (राजस्व)
नगर निगम जयपुर
(ग्र)



कार्यालय जयपुर नगर निगम, जयपुर

(पण्डित दीन दयाल उपाध्याय भवन लालकोठी, जयपुर)

निर्मित शौचालयों पर विज्ञापन एवं संधारण की शर्तें

नीलामी : फरवरी 2014

नगर निगम क्षेत्र में सार्वजनिक स्थलों पर बने हुए निर्मित शौचालयों पर विज्ञापन प्रदर्शित करने एवं संधारण की लाईसेंस की शर्तें निम्न प्रकार हैं :—

- विज्ञापन प्रदर्शित करने की नीलामी एक वर्ष (01 मार्च 2014 से 28 फरवरी 2015 तक) के लिए मान्य होगी। नवीनीकरण चाहने पर निगम द्वारा लाईसेंस शुल्क पर 10 प्रतिशत वृद्धि करके यह अवधि 2 वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकेगी।
- नीलामी सूची अनुसार निर्मित शौचालयों पर की नीलामी पृथक-पृथक निर्मित शौचालय की होगी व शौचालय बाबत निगम द्वारा स्वीकृत बोली दाता को राशि जमा करानी होगी। नीलामी में भाग लेने वाले इच्छुक व्यक्ति/फर्म द्वारा नकद/बैंक ड्राफ्ट से रुपये 15,000/- अक्षरे (पन्द्रह हजार रुपये मात्र) प्रति निर्मित शौचालय पर अमानता राशि निगम कोष में जमा करानी होगी। यह राशि लाईसेंस अवधि समाप्त होने के बाद ही वापस लौटाई जायेगी व शेष असफल बोलीदाताओं को अमानता राशि बोली समाप्ति के तुरन्त बाद वापिस कर दी जावेगी।
- उच्चतम बोलीदाता को अधिकतम बोली की 25 प्रतिशत राशि तुरन्त मौके पर ही निगम कोष में जमा करानी होगी। 25 प्रतिशत राशि जमा नहीं कराने पर अमानता राशि जप्त कर ली जावेगी तथा निर्मित शौचालयों एवं संधारण की पुनः नीलामी की जावेगी।
- निगम सीमा में सूची अनुसार निर्मित शौचालयों की दीवार पर निर्धारित खाचो पर विज्ञापन प्रदर्शित करने का लाईसेंसी को अधिकार होगा, जो 400 वर्गफुट से अधिक नहीं होगा। नगर निगम जयपुर (विज्ञापन) उपविधियां 2004 एवं जयपुर नगर निगम (विज्ञापन) (संशोधन) उपविधियां 2008 के अंतर्गत ही विज्ञापन प्रदर्शित किये जा सकेंगे। अश्लील व आपत्तिजनक विज्ञापन, नशे के चित्र (संकेत या लिखित) विज्ञापन आदि को प्रदर्शित नहीं किया जा सकेगा।
- बिजली कनेक्शन, पानी कनेक्शन एवं सीवर कनेक्शन कराने व बिल का भुगतान व अन्य खर्च लाईसेंसी को वहन करना होगा।
- विज्ञापन उपविधियां—2004 एवं संशोधित विज्ञापन उपविधियां 2008 के अनुसार विज्ञापन प्रदर्शित न होने पर लाईसेंसी ऑथोरिटी को पूर्ण अधिकार होगा कि, विज्ञापन-पट्ट को लाईसेंसी के हर्ज-खर्च पर हटवा देवे।
- 25 प्रतिशत राशि जमा कराने पर उच्चतम बोलीदाता को बोली स्वीकृत होने पर निर्मित शौचालयों पर विज्ञापन करने का लाईसेंस जारी किया जावेगा। नीलामी की शेष 75 प्रतिशत राशि एवं केन्द्र सरकार की सर्विस टैक्स राशि सहित जमा की प्रति लाईसेंस जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अंदर जमा करानी होगी। आगामी वर्ष 01 मार्च 2015 से 28 फरवरी 2016 के लिए नवीनीकरण चाहे जाने पर लाईसेंस दिनांक पूर्ण होने से दो माह अर्थात् 60 दिवस पूर्व नीलामी राशि पर 10 प्रतिशत बढ़ाकर आने वाली राशि की 25 प्रतिशत राशि के ड्राफ्ट के साथ आवेदन प्रस्तुत करना होगा एवं निगम द्वारा नवीनीकरण की स्वीकृति जारी करने के 30 दिवस में शेष 75 प्रतिशत राशि एवं केन्द्र सरकार की सर्विस टैक्स राशि जमा की प्रति जमा करानी होगी। इस प्रकार वर्ष 01 मार्च 2016 से 28 फरवरी 2017 तक के नवीनीकरण के लिये पिछले वर्ष की राशि में 10 प्रतिशत बढ़ाकर आने वाली राशि की 25 प्रतिशत राशि के साथ आवेदन प्रस्तुत करना होगा एवं निगम द्वारा स्वीकृति जारी करने के 30 दिवस के भीतर शेष 75 प्रतिशत राशि एवं केन्द्र सरकार की सर्विस टैक्स राशि जमा की प्रति जमा करानी होगी। नवीनीकरण की राशि समय पर जमा नहीं कराने पर ठेका निरस्त कर दिया जावेगा एवं अमानता राशि जब्त कर ली जावेगी।
- निगम द्वारा लाईसेंसी को बिल/नोटिस भेजने के बाद यदि गणना, अवधि आदि में कोई त्रुटी रह जाती है तो निगम द्वारा की गई गणना, अवधि आदि किसी भी त्रुटी को लाईसेंसिंग ऑथोरिटी द्वारा दुरस्त/सुधार कर संशोधित बिल/नोटिस प्रेषित किया जायेगा जिसकी पालना लाईसेंसी को करनी होगी।
- निर्मित शौचालयों पर लगे प्रदर्शित विज्ञापन की देखभाल एवं रखरखाव एवं सुन्दर रखने का दायित्व लाईसेंसधारी का होगा। इस संबंध में निगम की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। निर्मित शौचालयों पर किसी प्रकार का पोस्टर नहीं चिपकाया जायेगा व ना ही बैनर्स या छोटे बोर्ड, पतंग, प्लास्टिक बोर्ड आदि लगाया जावेगा एवं इन्हें लाईसेंस द्वारा तुरंत हटायेंगे तो नगर निगम नियमानुसार कार्यवाही करेगा।
- लाईसेंस अवधि में निर्मित शौचालयों व संधारण की पूर्ण देखरेख व रखरखाव लाईसेंसी की होगी। निर्मित शौचालयों पर निर्धारित विज्ञापन स्थल पर विज्ञापन हेतु निगम द्वारा जहां है जैसी स्थिति में है की शर्त पर दिया जा रहा है। विज्ञापन करने के दौरान यदि किसी शौचालय में किसी प्रकार की टूट-फूट होगी तो

लाईंसेन्स द्वारा वे स्वयं के लिए यह ठीक अनुमति है। इच्छालघु का स्ट्रॉकर द्वारा द्वारा हालत में रग रोगम् किया हुआ रप्परे का बायित्व लाईंसेन्सी का है। निर्मित शौचालयों का सामान दोहरे हालत है तो उसकी जिम्मेदारी लाईंसेन्सी की होगी।

11. निर्मित शौचालयों में शौचालय/बाथरून/धूरिनल व अन्य सामान की देखभाल, टूट-फूट व रख-रखाव का स्वयं ले हर्जे-खर्चे पर ठीक करना होगा। शौचालयों की सुविधाओं को दुरस्त हालत में रखना होगा। कोई होने के बाद शर्तों की पूर्ण पालना (निर्मित शौचालय सही हालत में) होने का प्रमाण पत्र अधिशाषी अभियंता (मुख्यालय) नगर निगम जयपुर से प्राप्त करने पर प्रस्तुत करने पर लाईंसेन्सी को लौटाई जावेगी। शर्तों की पालना नहीं होने पर अमानता जब्त की जा सकेगी।
12. लाईंसेन्सधारी को प्रत्येक 3 (तीन) माह में जोन आयुक्त या अधिशाषी अभियंता (मुख्यालय) से निर्मित शौचालयों को सही हालात में रख-रखाव करने के सम्बन्ध में प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
13. निर्मित शौचालयों का बंद होने व खुलने का समय नगर निगम द्वारा निर्धारित अनुसार होगा जो प्रतिदिन सुबह 6:00 बजे से रात्रि 9:00 बजे तक से कम नहीं होगा।
14. निर्मित शौचालयों पर उपलब्ध सुविधाओं का निर्धारित शुल्क WC उपयोग के लिए 2/- रु. व बाथरूम के उपयोग के लिए 5/- रु. होगा एवं यूनिरल का कोई शुल्क नहीं होगा। निर्धारित शुल्क की दरों को निर्मित शौचालयों पर पठनीय स्थल पर दिखाता हुआ लगाना अनिवार्य होगा।
15. निर्मित शौचालयों का संधारण एवं रख रखाव प्रतिदिन करना होगा जिसमें रोजाना टायलेट की सफाई, यूनिरल फर्श व दीवारे, छत एवं अंदर की व बाहरी दीवारों की नियमित सफाई करनी होगी। सफाई के लिए प्लाईल, नेफथीलीन वॉल का उपयोग करना होगा साथ ही टायलेट में साबुन, टावल व हाथ सुखाने के लिए डायर की व्यवस्था करनी होगी। आयुक्त राजस्व, आयुक्त स्वास्थ्य या राजस्व अधिकारी द्वारा निर्मित शौचालयों का निरीक्षण उपरान्त उपरोक्त अनुसार सफाई नहीं होने पर उनके द्वारा प्रतिवेदन पर बोलीदाता की जमा अमानता राशि से 500 रु. प्रतिदिन की दर से कटौती करने बाबत आदेश जारी करने का अधिकार मुख्य कार्यकारी अधिकारी अधिकारी, नगर निगम जयपुर का होगा। शर्तों के उल्लंघन पाये जाने पर लाईंसेन्स मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा निरस्त किया जा सकेगा। शौचालयों पर पानी की पर्याप्त व्यवस्था रखेगा।
16. निर्मित शौचालयों पर संधारणकर्ता फर्म का नाम एवं नगर निगम जयपुर का नाम एवं लोगो अंकित करना अनिवार्य होगा।
17. फर्म द्वारा निर्धारित विज्ञापन स्थल के अलावा निर्मित शौचालयों पर अंदर व बाहरी दीवारों पर अन्य कोई भी विज्ञापन, पोस्टर, स्टेच्यू व अन्य प्रचार विज्ञापन सामग्री प्रदर्शित नहीं करेगा और ना ही करने देगा।
18. निर्मित शौचालयों में किसी भी प्रकार का ताशपत्ती व अन्य खेल नहीं करेगा और ना ही करने देगा।
19. लाईंसेन्सी किसी अन्य व्यक्ति/ऐजेन्सी फर्म को हस्तानात्तरित नहीं करेगा।
20. लाईंसेन्सी/फर्म निर्मित शौचालयों का आवासीय उपयोग नहीं करेगा एवं जानवर/वाहन पार्किंग इत्यादि के लिए निर्मित शौचालय के बाहर व अंदर उपयोग नहीं करेगा।
21. बोली स्वीकृत करने अथवा अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार निगम को होगा।
22. जनहित/यातायात में बाधा होने पर अथवा BRTS/जयपुर मेट्रो परियोजना के कारण निर्मित शौचालयों को शिफ्ट करवाने का निगम को पूर्ण अधिकार होगा इसमें लाईंसेन्सी को किसी प्रकार का ऐतराज नहीं होगा।
23. अगर शर्त संख्या 21 अनुसार अथवा राज्य सरकार द्वारा प्रतिबन्धित होने के कारण विज्ञापन प्रदर्शित नहीं होने की स्थिति में उक्त अवधि की अनुज्ञापत्र फीस शेष रहे समय की अनुपातिक दर से विज्ञापन उपविधियां 2004 एवं संशोधित विज्ञापन उपविधियां 2008 के अनुसार राशि वापिस करने की कार्यवाही की जावेगी।
24. किसी विवाद में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, निगम का निर्णय अंतिम व सभी को मान्य होगा।
25. अनुज्ञापत्र के संबंध में किसी भी प्रकार की बकाया राशि अनुज्ञापत्रधारी की राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 एवं राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1959 या पी.डी.आर. एक्ट के तहत वसूल की जा सकेगी।
26. शर्तों में किसी भी समय परिवर्तन करने का अधिकार मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नगर निगम में निहित होगा तथा वही मान्य होगा।
27. समय-समय पर राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार द्वारा अगर कोई कर/शुल्क प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से देय है अथवा भविष्य में देय होगा तो उसका वहन लाईंसेन्सी को ही करना होगा।



लाईंसेन्सिंग ऑथोरिटी एवं आयुक्त (राजस्व)
नगर निगम जयपुर
०८९



कायोलय नगर निगम, जयपुर
(पण्डित दीन दयाल उपाध्याय भवन लालकोठी, जयपुर)

(5)

यूनिपोल नीलामी सूची, फरवरी 2014
साईज 16' X 8' एवं 30' X 15' फुट
मोतीझुंगरी जोन


क्र.सं.	साइट नम्बर	साईज	स्थान का विवरण	
1.	MDZ-05	16' X 8'	टोक रोड, महारानी कॉलेज की दीवार के समानांतर फुटपाथ पर, स्लिप लाईन पर वि.प.नं. 2	
2.	MDZ-06	16' X 8'	अशोक मार्ग, जय कलब की दीवार के समानांतर फुटपाथ पर चौराहा देखते हुए।	
3.	MDZ-10	16' X 8'	टोक रोड, सूचना केन्द्र के सामने आरोग्य मार्ग के उत्तरी कोने पर फुटपाथ पर समानांतर।	
4.	MDZ-18	16' X 8'	टोक रोड नारायणसिंह चौराहा तोतुका भवन की दीवार के पास फुटपाथ पर साईट सं. MDZ-14 के पास उत्तरी ओर	
5.	MDZ-41	16' X 8'	शांति पथ, तिलक नगर बिडला मंदिर के पीछे सर्किल पर ही यूनिवर्सिटी की दीवार के सहारे फुटपाथ पर वि.प.नं. 1	
6.	MDZ-42	16' X 8'	शांति पथ तिलक नगर बिडला मंदिर के पीछे सर्किल पर यूनिवर्सिटी की दीवार के सहारे फुटपाथ पर वि.प.नं. 2	
7.	MDZ-47	16' X 8'	मोतीझुंगरी रोड, धर्मसिंह सर्किल पर दक्षिणी-पूर्वी कोर्ने पर फुटपाथ पर दीवार के सहारे गोविन्द मार्ग की ओर से समानांतर वि.प.नं. 1	
8.	MDZ-55	16' X 8'	जवाहर लाल नेहरू मार्ग त्रिमूर्ति सर्किल, मूक बंधिर स्कूल की दीवार के समानांतर फुटपाथ पर।	
9.	MDZ-56	16' X 8'	जवाहर लाल नेहरू मार्ग, गांधी सर्किल यूनिवर्सिटी की दीवार के समानांतर महात्मा गांधी रोड की ओर फुटपाथ पर।	
10.	MDZ-57	30' X 15'	जवाहर लाल नेहरू मार्ग, ओटीएस चौराहे के पास पश्चिमी दक्षिणी कोर्ने पर।	
11.	MDZ-73	16' X 8'	हिम्मत नगर आर.ओ.बी. (भास्कर के पास) से गांधी नगर स्टेशन रोड पर सरस पार्लर के सामने रेल्वे दीवार के पास फुटपाथ पर।	NEW
12.	MDZ-75	30' X 15'	बजाज नगर एनकलव स्कीम के सामने रेल्वे क्वार्टर के बाहर रेल्वे दीवार के पास सरस डेयरी देखते हुए।	NEW
13.	MDZ-77	30' X 15'	गांधी नगर रेल्वे स्टेशन रोड ROB से पश्चिम की ओर रेल्वे कम्पाउण्ड वाल के पास अजमेरी गेट देखते हुए।	
14.	MDZ-78	16' X 8'	जवाहर नगर सैक्टर-7 के पास बने सुलभ शौचालय के बाहर कोने पर फुटपाथ पर।	NEW
15.	MDZ-79	30' X 15'	मालवीय नगर, जगतपुरा रोड रिलायन्स पैट्रोल पम्प से थोड़ा आगे मंदिर की दीवार के पास।	
16.	MDZ-80	16' X 8'	मालवीय नगर, जगतपुरा रोड, बालाजी तिराहा मंदिर की पास बने फुटपाथ पर।	
17.	MDZ-83	30' X 15'	J.L.N. मार्ग, आरोग्य मार्ग के सामने, रेजीडेन्ट डॉक्टर हॉस्टल की दीवार के समानांतर फुटपाथ पर।	NEW
18.	MDZ-85	30' X 15'	जे.एल.एन. मार्ग मालवीय नगर पुलिया के पहले एम.एन.आई.टी. की दीवार के पास।	
19.	MDZ-86	30' X 15'	जगतपुरा ROB के पास, जगतपुरा रेल्वे फाटक रेल्वे दीवार के पास मालवीय नगर देखता हुआ।	NEW
20.	MDZ-87	30' X 15'	जगतपुरा ROB के पास, रेल्वे फ्लेट्स के सामने निर्माणाधीन मंगलम् बाजार के कोने पर जगतपुरा देखता हुआ।	NEW



कार्यालय नगर निगम, जयपुर
(पण्डित दीन दयाल उपाध्याय भवन लालकोठी, जयपुर)

यूनिपोल नीलामी सूची, फरवरी 2014
साईज 16' X 8' एवं 30' X 15' फुट
मानसरोवर जोन

क्र. स.	साइट नम्बर	साईज	स्थान का विवरण	
1.	MSZ-03	16' X 8'	गोपालपुरा बाईपास, न्यू आतिश मार्केट के पश्चिमी कोने पर गुर्जर की थड़ी देखते हुए।	
2.	MSZ-08	16' X 8'	मानसरोवर, वीर तेजाजी चौराहे पर ही दक्षिण पूर्वी कोने पर चौराहा देखते हुए।	
3.	MSZ-12	16' X 8'	मानसरोवर, महारानी फार्म पुलिया के पश्चिमी दक्षिणी कोने पर दुर्गापुरा देखते हुए।	
4.	MSZ-13	16' X 8'	मानसरोवर, महारानी फार्म पुलिया के पूर्वी उत्तरी कोने पर बाउण्ड्रीवाल के सहारे समानांतर मानसरोवर देखते वि.प.नं. 2	
5-	MSZ-25	16' X 8'	गोपालपुरा बाईपास रोड, न्यू आतिश मार्केट के गेट के पहले पुलिया के पास फुटपाथ पर गुर्जर की थड़ी देखते हुये।	
6.	MSZ-46	30' X 15'	जवाहरलाल नेहरू मार्ग, वर्ड ट्रेड सेंटर के सामने नाले के पुलिया के पास फुटपाथ पर समानांतर वर्ड ट्रेड सेंटर देखते हुये।	
7.	MSZ-47	30' X 15'	गोपालपुरा ROB के पास ROB के दक्षिणी ओर रेल्वे बाउण्डरी वॉल के पास, बजरी मण्डी।	
8.	MSZ-48	30' X 15'	गोपालपुरा ROB के पास ROB के उत्तरी ओर रेल्वे बाउण्डरी वॉल के पास।	
9.	MSZ-50	30' X 15'	महारानी फार्म, गायत्री नगर जाने वाली रोड के सामने फुटपाथ पर।	NEW
10.	MSZ-52	30' X 15'	टॉक रोड, ई.पी. सिनेमा के सामने, प्रेम निकेतन अस्पताल की दीवार के समानांतर फुटपाथ पर।	NEW
11.	MSZ-62	16' X 8'	जवाहर लाल नेहरू मार्ग वर्ड ट्रेड सेन्टर के पास बने नाले की पुलिया के पश्चिमी-दक्षिणी कोने पर फुटपाथ पर।	NEW
12.	MSZ-63	16' X 8'	जवाहर लाल नेहरू मार्ग वर्ड ट्रेड सेन्टर के पास बने नाले की पुलिया के पूर्वी-दक्षिणी कोने पर फुटपाथ पर।	NEW



कार्यालय नगर निगम, जयपुर

(अष्टित दीन दयाल उपाध्याय भवन लालकोटी, जयपुर)

यूनिपोल नीलामी सूची:- फरवरी 2014

साईंज 16' X 8' एवं 30' X 15' फुट

विद्याधर नगर जोन

क्र. स.	साइट नम्बर	साईंज	स्थान का विवरण	
1.	VDZ-03	16' X 8'	झोटवाडा रोड, पीतल फैक्ट्री के सामने मंदिर के पास पूर्व की ओर।	
2.	VDZ-10	16' X 8'	बनीपार्क, माधोसिंह सर्किल पर पूर्वी उत्तरी कोने पर सर्किल देखते हुए।	
3.	VDZ-14	16' X 8'	विद्याधर नगर निर्माण विहार सै. 3 के आगे सिने स्टार चौराहे के पास दक्षिणी-पश्चिमी ओर	
4.	VDZ-15	16' X 8'	विद्याधर नगर, स्वर्ण जयंती पार्क के सामने विद्याधर नगर जाने वाले रोड के उत्तरी पश्चिमी कोने के फुटपाथ पर वि.प.नं. 1	
5.	VDZ-16	16' X 8'	विद्याधर नगर, स्वर्ण जयंती पार्क के सामने विद्याधर नगर जाने वाले रोड के उत्तरी पश्चिमी कोने के फुटपाथ पर वि.प.नं. 3	
6.	VDZ-18	16' X 8'	विद्याधर नगर, निर्माण विहार, सैक्टर-3 के आगे सिनेस्टार चौराहे के पास फुटपाथ पर समानांतर	
7.	VDZ-19	16' X 8'	विद्याधर नगर, निर्माण विहार, सैक्टर-3 के आगे सिले स्टार चौराहे के पास साईंट संख्या VDZ. 18 के उत्तरी ओर	
8.	VDZ-22	16' X 8'	विद्याधर नगर, माहेश्वरी स्कूल के पास गणपति टॉवर के तिराहे पर ही उत्तर पूर्व पर बने पार्क के कोने पर फुटपाथ के समानांतर वि.प.नं. 2	
9.	VDZ-26	16'X8'	विद्याधर नगर, नया खेडा के पास खण्डेलवाल टावर्स के पास चौराहे पर अग्रवाल कैटर्स के पास दक्षिणी-पूर्वी कोने पर।	
10.	VDZ-27	16'X8'	अम्बाबाड़ी सर्किल पर उत्तरी पूर्वी कोने पर।	
11.	VDZ-37	16'X8'	विद्याधर नगर, सर्किल सै. 5 पर उत्तरी पूर्वी कोने पर सै. 6 में बने फ्लेट्स की दीवार के पास।	
12.	VDZ-39	16'X8'	विद्याधर नगर, पुराने विद्याधर सर्किल पर पश्चिमी उत्तरी कोने पर।	
13.	VDZ-40	16'X8'	पानीपेच तिराहे पर बस्सी सीतारामपुरा कच्ची बस्ती के पास झोटवाडा देखते हुए।	
14.	VDZ-47	16' X 8'	झोटवाडा रोड, चांदपोल श्मशान घाट गेट के पास बने हाजरीगाह की दीवार के पास चांदपोल देखते हुए।	NEW
15.	VDZ-50	30' X 15'	विद्याधर नगर, माहेश्वरी गल्स स्कूल से आगे फन सिनेमा जाने वाले तिराहे के टी-पोईट पर फुटपाथ पर फन सिनेमा देखते हुए।	NEW
16.	VDZ-56	30' X 15'	पनीपेच तिराहा, झोटवाडा रोड, अकादमी हाउस की दीवार के पास।	
17.	VDZ-57	30' X 15'	विद्याधर नगर स्वर्ण जयंती पार्क के पास बने सुलभ शौचालय की दीवार के समानांतर कांवटिया सर्किल देखते हुए।	NEW
18.	VDZ-58	30' X 15'	चिंकारा कैन्टीन के सामने साईंट संख्या VDZ-45 के पास चिंकारा कैन्टीन की ओर सर्किल देखते हुए।	NEW
19.	VDZ-59	30' X 15'	क्लैक्ट्री सर्किल, अशोक होटल की दीवार के पास फुटपाथ पर शिव मार्ग की ओर।	NEW



कायोलय नगर निगम, जयपुर
(पण्डित दीन दयाल उपाध्याय भवन लालकोठी, जयपुर)

यूनिपोल नीलामी सूची, फरवरी 2014
साईज 16' X 8' एवं 30' X 15' फुट
सिविल लाईन जोन

क्र. स.	साइट नम्बर	साईज	स्थान का विवरण
1.	CLZ - 52	16' X 8'	सिरसी रोड, आम्रपाली सर्किल जाने वाले तिराहे के सामने दीवार के पास आम्रपाली सर्किल रोड देखते हुए सिररी रोड तिराहे की ओर वि.प.न. 3
2.	CLZ - 63	16' X 8'	गीजगढ़ हाउस, हवा सड़क।
3.	CLZ - 64	16' X 8'	हवा सड़क, गीजगढ़ हाउस के सामने सोडाला देखते हुए।
4.	CLZ - 86	16' X 8'	अशोक मार्ग, सी-स्कीम, अहिंसा सर्किल पर मेलबोर्न हाउस के गेट के पास फुटपाथ पर सुभाष मार्ग की ओर से समानांतर वि.प.नं. 1
5.	CLZ - 91	16'X8'	संसार चन्द्र रोड होमगार्ड ट्रेनिंग सेंटर की दीवार के समानांतर।
6.	CLZ - 96	16'X8'	जमना लाल बजाज मार्ग, सिविल लाईन फाटक दक्षिणी ओर फुटपाथ पर जय गुरुदेव पान भण्डार के पास राजमहल होटल देखते हुए वि.प.नं. 1

०१



(7)

कार्यालय नगर निगम, जयपुर
(पण्डित दीन दयाल उपाध्याय भवन लालकोठी, जयपुर)

यूनिपोल नीलामी सूची, फरवरी 2014
साईज 16' X 8' एवं 30' X 15' फुट
रांगानेर जोन

क्र. सं.	साइट नम्बर	साईज	स्थान का विवरण	
1.	SNZ-40	16'X8'	टोक रोड, हल्दीघाटी चौराहा से पहले पश्चिमी ओर, टोक रोड देखते हुए।	
2.	SNZ-42	16' X 8'	टोक रोड, सीतापुरा ईपीआईपी को जाने वाले रास्ते के उत्तरी कोने पर टोक रोड की ओर से वि.प.नं. 1	
3.	SNZ-44	16' X 8'	टोक रोड, सीतापुरा ईपीआईपी को जाने वाले रास्ते के दक्षिण कोने पर टोक रोड की ओर से वि.प.नं. 1	
4.	SNZ -53	16' X 8'	टोक रोड सांगानेर पुलिया के आगे नीरजा सरस पालर के सामने बने शिव मंदिर की दीवार के समानान्तर फुटपा थ पर पुलिया देखते हुए।	
5.	SNZ -54	16' X 8'	टोक रोड, प्रताप नगर हल्दीघाटी मार्ग के चौराहे पर पूर्वी—दक्षिणी कोने पर फुटपाथ पर जयपुर देखता हुआ।	
6.	SNZ -57	30' X 15'	सांगानेर रोड, मानसरोवर ROB के पास ROB के पूर्वी ओर RIICO रेल्वे लाईन के पास बने प्लाट नं. A-1 के पास	
7.	SNZ -58	30' X 15'	सांगानेर रोड, मानसरोवर ROB के पास ROB के पश्चिम ओर रेल्वे बाउण्डरी वॉल के पास	
8.	SNZ -59	30' X 15'	टोक रोड सीतापुरा ROB के पास, पूर्व की ओर इण्डियन ऑयल गोदाम के बाहर सांगानेर देखता हुआ।	NEW
9.	SNZ -60	30' X 15'	टोक रोड सीतापुरा ROB के पास, दक्षिणी—पूर्व की ओर खाली भूमि के पास टोक रोड देखता हुआ।	NEW



कार्यालय नगर निगम, जयपुर
 (पण्डित दीन दयाल उपाध्याय भवन लालकोठी, जयपुर)

यूनिपोल नीलामी सूची, फरवरी 2014
साईज 16' X 8' एवं 30' X 15' फुट

आमेर जोन

क्र. स.	साइट नम्बर	साईज	स्थान का विवरण
1.	AMZ-01	30' X 15'	आमेर रोड, शहीद वनकर्मी उधान के सामने, पार्किंग के पास पुटपाथ पर
2.	AMZ-02	16' X 8'	आमेर रोड, जलमहल चौराहे से आगे नाले की पुलिया के पूर्व की ओर कोहिनूर ज्वैलर्स के सामने नाले की दीवार के सहारे वि.प.नं. 3।
3.	AMZ-03	16' X 8'	आमेर, होटल के के रॉयल डेज के पूर्वी गेट के सामने स्वर्ण जयंति रंगमंच की दीवार के पास कुण्डा देखते हुए।
4.	AMZ-04	16' X 8'	आमेर रोड, कुण्डा से पहले ज्योति किलनीक के पास पूर्व की ओर बने स्लीप लाईन के पास बाउण्ड्रीवाल की दीवार के समानांतर।
5.	AMZ-08	16' X 8'	आमेर रोड, होटल होलीडे इन के सामने कब्रिस्तान की दीवार के समानांतर आमेर देखते हुए।
6.	AMZ-09	16' X 8'	आमेर रोड, जलमहल चौराहे से आगे नाले की पुलिया के पूर्व की ओर कोहिनूर ज्वैलर्स के सामने नाले की दीवार के सहारे वि.प.नं. 1
7.	AMZ-16	30' X 15'	जल महल AMZ-02 के पास नाले की दीवार के पास होटल दरबार के पास।
8.	AMZ-17 NEW HMZ(W)-10 OLD	16' X 8'	आमेर रोड कुण्डा ज्योति किलनीक के पास।

हवामहल (पूर्व)

क्र. स.	साइट नम्बर	साईज	स्थान का विवरण
1.	HMZ (E)-07	16'X8'	दिल्ली रोड बाईपास, बन्ध की घाटी के पहले जलमहल तिराहे पर दक्षिणी पश्चिमी कोने से उपरोक्त साईट के पास ही समानांतर जलमहल की ओर से वि.प.नं. 3
2.	HMZ(E)-16	30'X15'	आगरा रोड कब्रिस्तान की दीवार के समानांतर कब्रिस्तान गेट के पश्चिम की ओर, गोविन्द मार्ग देखते हुए।
3.	HMZ(E)-18	30' X 15'	आगरा रोड कब्रिस्तान की दीवार के समानांतर कब्रिस्तान गेट के पूर्व की ओर, गोविन्द मार्ग देखते हुए।

०१



(5)

कार्यालय नगर निगम जयपुर
ट्राईएंग्यूलर साईनेज (रोड ऑयलैण्ड पर) की सूची
नीलामी सूची, फरवरी 2014

क्र.सं.	स्थान का विवरण
1.	जे.एल.एन. मार्ग, जे.डी.ए. चौराहे पर बिड़ला मंदिर ऑयलैण्ड पर।
2.	जे.एल.एन. मार्ग, जे.डी.ए. चौराहे पर दक्षिणी ओर बने ऑयलैण्ड पर।
3.	जे.एल.एन. मार्ग, बजाज नगर जवाहर कला केन्द्र के पास बने आयैलैण्ड पर।
4.	टोंक रोड, अशोक मार्ग तिराहा, एम.जी.डी. स्कूल के पास बने ऑयलैण्ड पर।
5.	टोंक रोड, लक्ष्मी मंदिर तिराहा, उत्तरी-पश्चिमी ऑयलैण्ड पर।
6.	टोंक रोड, आश्रम मार्ग तिराहा दक्षिणी-पूर्वी ऑयलैण्ड पर।
7.	टोंक रोड, ई.पी. चौराहा उत्तरी-पश्चिमी ऑयलैण्ड पर।
8.	झोटवाडा रोड, पानीपेच तिराहा उत्तरी ओर बने ऑयलैण्ड पर।
9.	शिप्रापथ एस.एफ.एस., वी-2 बाईपास, मानसरोवर के पूर्वी ओर बने ऑयलैण्ड पर।
10.	अजमेर रोड, किंग्स रोड पर बने पश्चिमी ओर ऑयलैण्ड पर।



(4)

कार्यालय नगर निगम जयपुर
ट्राईऐंग्यूलर साईनेज (रोड़ ऑयलैण्ड पर) की सूची
नीलागी रुची, फरवरी 2014

क्र.सं.	स्थान का विवरण
1.	जे.एल.एन. मार्ग, जे.डी.ए. चौराहे पर बिड़ला मंदिर ऑयलैण्ड पर।
2.	जे.एल.एन. मार्ग, जे.डी.ए. चौराहे पर दक्षिणी ओर बने ऑयलैण्ड पर।
3.	जे.एल.एन. मार्ग, बजाज नगर जवाहर कला केन्द्र के पास बने आयैलैण्ड पर।
4.	टोंक रोड़, अशोक मार्ग तिराहा, एम.जी.डी. स्कूल के पास बने ऑयलैण्ड पर।
5.	टोंक रोड़, लक्ष्मी मंदिर तिराहा, उत्तरी-पश्चिमी ऑयलैण्ड पर।
6.	टोंक रोड़, आश्रम मार्ग तिराहा दक्षिणी-पूर्वी ऑयलैण्ड पर।
7.	टोंक रोड़, ई.पी. चौराहा उत्तरी-पश्चिमी ऑयलैण्ड पर।
8.	झोटवाडा रोड़, पानीपेच तिराहा उत्तरी ओर बने ऑयलैण्ड पर।
9.	शिप्रापथ एस.एफ.एस., वी-2 बाईपास, मानसरोवर के पूर्वी ओर बने ऑयलैण्ड पर।
10.	अजमेर रोड़, किंग्स रोड़ पर बने पश्चिमी ओर ऑयलैण्ड पर।

(Signature)

मोती झूंगरी जोन :- छतरिया

- 1 द्रान्सपोट नगर चौराहा जदाहर नगर बाईपास
- 2 गुरुद्वारा मोड गोदिन्द मार्ग के कौने पर
- 3 घटगेट
- 4 मिनवा
- 5 सांगानेरी गेट
- 6 रारावगी मैन्शन
- 7 न्यू गेट
- 8 अजमेरी गेट यादगार
- 9 अजमेरी गेट
- 10 जय क्लब अशोक मार्ग
- 11 गांधी नगर मोड
- 12 यूनिवर्सिटी मार्ग टोक रोड
- 13 रामबाग सर्किल
- 14 आर.बी.आई. मोड
- 15 नारायणसिंह सर्किल
- 16 पृथ्वीराज मार्ग सी-स्कीम
- 17 एस.एम.एस. अस्पताल
- 18 सूचना केन्द्र
- 19 रामबाग होटल के गेट के सामने
- 20 राजापार्क कोसिंग
- 21 राजस्थान विश्वविद्यालय
- 22 इन्कम टैक्स कॉलोनी
- 23 एम.एन.आई.टी. जवाहर लाल नेहरू मार्ग
- 24 दैनिक भास्कर
- 25 बजाज नगर
- 26 गणेश मंदिर
- 27 मेडिकल कॉलेज
- 28 मेडिकल बॉयज हॉस्टल
- 29 बालाजी मोड जगतपुरा मालवीय नगर
- 30 राजस्थान पत्रिका
- 31 ज्योति नगर पुलिस स्टेशन
- 32 अशोक मार्ग मोड
- 33 लक्ष्मी मंदिर त्रिराहा
- 34 बी.एस. रोड ज्योति नगर मोड
- 35 न्यू विधानसभा जनपथ
- 36 ईमली फाटक
- 37 एच.पी.सी.एल. त्रिराहा

मोती झूंगरी जोन :- नई पुलिस छतरियां बनाने हेतु प्रस्तावित स्थानों की सूची :-

1. एमआईरोड मानप्रकाश, (जीटीसी के सामने)।
2. एमआईरोड, सरावगी मैन्शन।
3. जे.एल.एन. मार्ग, आरोग्य पथ।
4. जे.एल.एन. मार्ग, मेडिकल कॉलेज के सामने।
5. जे.एल.एन. मार्ग, जे.के. लोन के सामने।
6. टोक रोड, डिस्पेंसरी मोड (न्यू पी.एच.क्यू मोड)।

वर्ष कि 2013-2014 पुलिस गुमटियां की नीलामी सूची

मोती ढूंगरी जोन :- गुमटियां

- 1 घटगेट
- 2 सांगानेरी गेट
- 3 पांच बत्ती
- 4 मिनर्वा सिनेगा
- 5 न्यू गेट
- 6 अजमेरी गेट
- 7 अशोक मार्ग बी.डी. रोड
- 8 अम्बेडकर सर्किल भावनी सिंह रोड
- 9 स्टेन्यू सर्किल पुथ्वीराज रोड
- 10 तिलक मार्ग मोड
- 11 लक्ष्मी मंदिर मोड
- 12 गांधी नगर मोड
- 13 बजाज नगर मोड
- 14 यूनिवर्सिटी मार्ग
- 15 रामबाग सर्किल
- 16 दैनिक भास्कर मोड
- 17 बिरला मंदिर
- 18 OTS सर्किल
- 19 तख्तेशाही रोड
- 20 त्रिमुर्ति सर्किल
- 21 धर्मसिंह सर्किल
- 22 जवाहर नगर बस स्टेण्ड
- 23 द्रान्सपोर्ट नगर चौराहा टर्नल
- 24 गुरुद्वारा मोड गोविन्द मार्ग
- 25 टर्नल के बाहर पुराना बाईपास
- 26 घाट की गुणी मच्छी दरवाजा
- 27 राजपार्क चौराहा
- 28 जयकलव चौराहा

मोतीढूंगरी जोन :- नई पुलिस गुमटियां बनाने हेतु प्रस्तावित स्थानों की सूची :-

1. एमआई रोड यादगार तिराहा।
2. एमआई रोड मानप्रकाश तिराहा।
3. एमआई रोड सरावगी मैन्शन।
4. एमआई रोड, मिनर्वा सर्किल।
5. जवाहर नगर बाईपास, टर्नल स्लिप लाईन।
6. जवाहर नगर बाईपास, सेठी पेट्रोल पम्प, टर्नल के बाहर।
7. गोविन्द मार्ग, बर्फखाना चौराहा।
8. गोविन्द मार्ग, परनामी मन्दिर।
9. जे.एल.एन. मार्ग, यूनिवर्सिटी गेट के पास।
10. जे.एल.एन. मार्ग, गांधी सर्किल।
11. गांधीनगर रोड, जजों का चौराहा।
12. टोंक रोड, एस.एम.एस के सामने।
13. टोंक रोड, डिस्पेंसरी मोड (न्यू पी.एच.क्यू. मोड)।

(11)

वर्ष कि 2013-2014 पुलिस छतरियां की नीलामी सूची

विधाधर नगर जोन :- पुलिस छतरियां

- 1 पीतल फैकट्री
- 2 पानीपेच आर.पी.ए. तिराहा
- 3 पानीपेच तिराहा
- 4 दूध मण्डी
- 5 पंखा काटा झोटवाडा
- 6 वन एन भून सीकर रोड
- 7 टाईटन माल के सामने
- 8 अम्बाबाड़ी चौराहा
- 9 पारीक कॉलेज
- 10 पावर हाउस
- 11 गणपति टावर तिराहा

वर्ष कि 2013-2014 पुलिस गुमटियां की नीलामी सूची

विधाधर नगर जोन :- पुलिस गुमटियां

- 1 पुलिस लाईन जनाना अस्पताल के पास
- 2 संजय सर्किल
- 3 पीतल फैकट्री
- 4 रेलवे स्टेशन
- 5 चौमू पुलिया
- 6 सिधी केम्प बस स्टेण्ड -उत्तरी गेट के पास
- 7 सिधी केम्प बस स्टेण्ड -दक्षिणी गेट के पास
- 8 कलेक्ट्रेड
- 9 लता सिनेमा सर्किल
- 10 खिरनी फाटक
- 11 खासाकोठी सर्किल
- 12 पानीपेच सर्किल
- 13 चिंकारा टीपोइन्ट
- 14 पावर हाउस
- 15 आर.पी.ए. रोड
- 16 अम्बाबाड़ी

नई पुलिस गुमटियां बनाने हेतु प्रस्तावित स्थानों की सूची :-

विधाधर नगर जोन :-

1. 200 फीट बाईपास, निवारू रोड पुलिया।

वर्ष 2013-2014 पुलिस छतरियां की नीलामी सूची

सिविल लाईन जोन :- पुलिस छतरिया

1. सरोजनी मार्ग सी-स्कीम
2. सरदार पटेल मार्ग चौराहा
3. अजमेर पुलिया के नीचे सिविल लाईन
4. नन्दपुरी चौराहा बाईस गोदाम
5. वैशाली नगर चौराहा अजमेर रोड
6. वीन्स रोड, मिलिट्री एरिया के सामने
7. गांधी पथ चौराहा वीन्स रोड
8. भरत अपार्टमेन्ट चौराहा वैशाली नगर
9. चित्रकुट चौराहा वैशाली नगर
10. गणपति प्लाजा के सामने
11. गवर्नमेन्ट हॉस्टल चौराहा
12. सुभाष मार्ग
13. चितरंजन मार्ग सी स्कीम
14. सरदार पटेल मार्क रिलायन्स कार्यालय
15. तिलक मार्ग चौराहा
16. कठपुतली नगर के पास
17. विशाल गारमेन्ट
18. पुराना बाईपास 200 फुट
19. किंग्स रोड कार्नर

नई छतरियां बनाने हेतु प्रस्तावित स्थानों की सूची :-

1. सरदार पटेल मार्ग, धूलेश्वर गाड़न।

वर्ष 2013-2014 पुलिस गुमटियां की नीलामी सूची

सिविल लाईन जोन :- पुलिस गुमटियां :-

1. स्टेच्यू सर्किल के पास सी-स्कीम
2. बाईस गोदाम सर्किल सिविल लाईन
3. न्यू सांगानेर चौराहा, सोडाला
4. आम्रपाली सर्किल वैशाली नगर
5. गणपति प्लाजा के पास
6. अहिंसा सर्किल सी-स्कीम
7. सुभाष मार्ग सी-स्कीम
8. सरदार पटेल मार्ग रिलायन्स
9. सिविल लाईन कासिंग
10. अजमेर रोड, 200 फुट बाईपास
11. पुराना चुंगीनाका
12. गोरमेन्ट प्रेस सर्किल
13. चौमुं हाऊस सर्किल
14. खातीपुरा तिराहा।
15. सिरसी रोड, 200 फीट बाईपास ओवरब्रिज।

नई गुमटियां बनाने हेतु प्रस्तावित स्थानों की सूची :-

1. सरदार पटेल गार्ग, धूलेश्वर गाड़न।
2. अजमेर रोड, शालीमार चौराहा।

वर्ष कि 2013-2014 पुलिस छतरियां की नीलामी सूची

(17)

सांगानेर जोन :- छतरियां

- 1 टोक रोड इण्डिया गेट के सामने
- 2 कुम्भा मार्ग का चौराहा।
- 3 सांगानेर पलाई आवेर के नीचे
- 4 एयरपोर्ट न्यू टर्मिनल
- 5 जवाहर सर्किल
- 6 एयरपोर्ट न्यू टर्मिनल
- 7 ई.पी. मोड

सांगानेर जोन :- नई पुलिस छतरियां बनाने हेतु प्रस्तावित स्थानों की सूची :-

1. आगरा रोड, गोनर तिराहा।
2. जवाहर सर्किल के सामने।
3. जवाहर सर्किल, जगतपुरा कट।
4. जवाहर सर्किल के पीछे।
5. जवाहर सर्किल, ई.पी. कट।
6. सिद्धार्थ नगर चौराहा, टर्मिनल-3 रोड।
7. आश्रम मार्ग।
8. सांगानेर चौरड़िया पेट्रोल पम्प।
9. सांगानेर, मालपुरा गेट।

वर्ष कि 2013-2014 पुलिस गुमटियां की नीलामी सूची

सांगानेर जोन :- गुमटियां

- 1 सांगानेर फ्लाई ऑवर के नीचे
- 2 टर्मिनल -2 के चौराहे पर
- 3 स्टेट हैंगर गेट के चौराहे पर
- 4 गोवर टावर के सामने
- 5 वर्ल्ड ट्रेड पार्क के कोने पर
- 6 जवाहर सर्किल मैन रोड पर

सांगानेर जोन :- नई गुमटियां बनाने हेतु प्रस्तावित स्थानों की सूची :-

1. आगरा रोड, गोनेर तिराहा।
2. जे.एल.एन. मार्ग, गौरव टॉवर।
3. जे.एल.एन. मार्ग, एस.एल. कट, (इनकम टैक्स कॉलोनी रोड)।
4. जे.एल.एन. मार्ग, जवाहर सर्किल।
5. मालवीय नगर, सिद्धार्थ नगर चौराहा।
6. टर्मिनल टू गेट।
7. टोक रोड, गौशाला।
8. टोक रोड, हल्दीघाटी गेट।
9. टोक रोड, कुम्भा मार्ग।
10. टोक रोड, इण्डिया गेट।
11. सांगानेर, चौरड़िया पेट्रोल पम्प के पास।
12. सांगानेर, मालपुरा गेट।
13. सांगानेर, रायल्टी चौराहा।



वर्ष कि 2013-2014 पुलिस छतरियां की नीलामी सूची

मानसरोवर जोन :- पुलिस छतरियां

- 1 होटल बेला खासा के सामने
- 2 त्रिवेणी नगर चौराहे पर
- 3 रिद्धि-सिद्धि चौराहा,
- 4 शिप्रापथ बी-2 बाईपास
- 5 शिप्रापथ बी-2 बाईपास से न्यू सांगानेर रोड के मध्य
- 6 शिप्रापथ कपिल ज्ञानपीठ पब्लिक स्कूल के तिराहे पर
- 7 गोपालपुरा टोक रोड पुलिया के नीचे
- 8 मुक्तानन्द नगर चौराहा गोपालपुरा बाईपास
- 9 जयपुर अस्पताल के पास टोक रोड सांघी मोटर्स
- 10 गौशाला के सामने लाल बहादुर नगर भोड़
- 11 बाबूल पेरेडाईज के सामने चौरोह पर
- 12 फस्ट सिनेमा
- 13 गुर्जर की थड़ी

मानसरोवर जोन :- नई पुलिस छतरियां बनाने हेतु प्रस्तावित स्थानों की सूची :-

- 1 टोक रोड, खण्डाका हॉस्पिटल कट।
- 2 टोक रोड, कमल एण्ड कम्पनी कट।

वर्ष कि 2013-2014 पुलिस गुमटियां की नीलामी सूची

मानसरोवर जोन :- पुलिस गुमटियां

- 1 बी-2 बाईपास डेयरी के पास
- 2 रिद्धि सिद्धि चौराहा
- 3 गोपालपुरा टोक रोड पुलिया के नीचे
- 4 जयपुर अस्पताल टोक रोड सांघी मोटर्स
- 5 न्यू सांगानेर तिराहे पर मंदिर के पास
- 6 गुर्जर की थड़ी चौराहा
- 7 त्रिवेणी नगर कासिंग

मानसरोवर जोन :- नई पुलिस गुमटियां बनाने हेतु प्रस्तावित स्थानों की सूची :-

- 1 टोक रोड, दुर्गापुरा।
- 2 टोक रोड, कमल एण्ड कम्पनी।
- 3 टोक रोड, किसान मार्ग।
- 4 बी.टू. बाईपास, एसएफएस चौराहा।
- 5 बी.टू. बाईपास, प्रधान वाटिका।
- 6 न्यू सांगानेर रोड, मानसरोवर अरावली मार्ग।
- 7 न्यू सांगानेर रोड, मानसरोवर विजय पथ।
- 8 न्यू सांगानेर रोड, भृगुपथ।
- 9 न्यू सांगानेर रोड, किसान धर्मकांठ।
- 10 मानसरोवर, गंगा जमुना पेट्रोल पंप।

वर्ष कि 2013-2014 पुलिस छतरियां की नीलामी सूची

आमेर जोन :- छतरियां

1 रामगढ़ मोड़ चौराहे पर

वर्ष कि 2013-2014 पुलिस गुमटियां की नीलामी सूची

आमेर जोन :- गुमटियां

1 आमेर मावठा चौक

2 जलमहल आमेर रोड

3 पुराना चुंगीनाका दिल्ली बाईपास

4 मानबाग दिल्ली रोड हनुमान मंदिर

5 जयपुर गोल्डन के पास दिल्ली रोड

6 रामगढ़ मोड़

आमेर जोन :- नई पुलिस गुमटियां बनाने हेतु प्रस्तावित स्थानों की सूची :-

1. आमेर तिराहा।

2. आमेर रोड, ग्रामीण पुलिस लाईन के सामने।

हवामहल जोन (पूर्व) :— छतरियां

- 1 घाटगेट चौराहा फायर स्टेशन के पास
- 2 गलता गेट मोहन बाड़ी के पास
- 3 लिंक रोड बापू बाजार का कोना
- 4 सांगानेरी गेट पर
- 5 सांगानेरी गेट व मिनर्वा सिनेमा के पास

वर्ष कि 2013–2014 पुलिस गुमटियां की नीलामी सूची

हवामहल जोन (पूर्व) :— गुमटियां

- 1 घाटगेट चौराहा फायर स्टेशन
- 2 गलतागेट मोहन बाड़ी के पास
- 3 रामंगज चौपड़ थाने के पास
- 4 शहीद अमित भारद्वाज माणक चौक स्कूल
- 5 बड़ी चौपड़ के पास माणक चौक
- 6 फूलवोल खंदे में बड़ी चौपड़
- 7 सांगानेरी गेट

हवामहल (पूर्व) जोन :— नई पुलिस गुमटियां बनाने हेतु प्रस्तावित स्थानों की सूची :—

1. आगरा रोड, घाट की गूणी।
2. आमेर रोड, सुभाष चौक।
3. चांदी की टकसाल।
4. हीदा की मोरी।
5. खोले के हनुमान जी के मंदिर के गेट के पास।

वर्ष कि 2013-2014 पुलिस छतरियां की नीलामी सूची

हवामहल जोन (पश्चिम) :- छतरियां

- 1 पुरोहित जी का कटला हवामहल गेट के मध्य
- 2 मैन त्रिपोलिया गेट के सामने
- 3 बाबा हरिशचन्द मार्ग व नाहरगढ़ रोड के मध्य
- 4 खजाने वाला का रास्ता व जयलाल मुंशी का रास्ता के मध्य
- 5 चान्दपोल बाजार बगरुवालों का रास्ता
- 6 न्यूगेट गोलछा सिनेमा के पास

वर्ष कि 2013-2014 पुलिस गुमटियां की नीलामी सूची

हवामहल जोन (पश्चिम) :- गुमटियां

- 1 गोलछा सिनेमा, चोडा रास्ता
- 2 कल्याण जी का रास्ता बगरुवालों के रास्ते के मध्य
- 3 छोटी चौपड़
- 4 चान्दपोल से सूरजपोल बड़ी चौपड़

हवामहल (पश्चिम) जोन :- नई पुलिस गुमटियां बनाने हेतु प्रस्तावित स्थानों की सूची :-

1. जलबी चौक, गोविन्द देवजी मंदिर के पास।
2. चांदपोल बाजार, खजाने वालों का रास्ता।
3. चांदपोल बाजार, नाहरगढ़ रोड़ चौराहा।
4. गणगौरी बाजार, चौगान स्टेडियम चौराहा।
5. आमेर रोड़, जोरावर सिंह गेट के बाहर।
6. त्रिपोलिया मेन गेट।
7. अजमेरी गेट के अन्दर।

(15)

बी.ओ.टी आधार पर निर्मित शौचालयों की सूची

क्र. सं.	कार्य स्थल का नाम
1.	बांगड़, सवाईमानसिंह अस्पताल, जे.एल.एन.मार्ग
2.	ट्रांसपोर्ट नगर गुरुद्वारे के सामने
3.	गवर्नमेन्ट हॉस्टल
4.	सतीशचन्द्र अग्रवाल सकिल
5.	22 गोदाम रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया
6.	गोपालपुरा बाईपास

OR

जगती कार्यालय नगर निगम, जयपुर

(पण्डित दीन दयाल उपाध्याय भवन लालकोठी, जयपुर)

कियोस्क (बिजली के खम्बों पर लगाये जाने वाले छोटे बोर्ड)

नीलामी : फरवरी 2014

नगर निगम के आमेर जोन क्षेत्र में विभिन्न भागों पर समस्त बिजली के खम्बों पर दो छोटे बोर्ड (कियोस्क) लगाने के लाईसेन्स की नीलामी की शर्तें निम्न प्रकार होगी। नीलामी निगम द्वारा विज्ञापि के अनुसार की जावेगी।


- लाइसेन्स की अवधि :- विज्ञापन प्रदर्शित करने की नीलामी एक वर्ष 01 मार्च 2014 से 28 फरवरी 2015 तक के लिए मान्य होगी। लाईसेंसधारी द्वारा नवीनीकरण चाहने पर निगम द्वारा लाईसेन्स शुल्क पर 10 प्रतिशत वृद्धि करके यह अवधि दो वर्ष के लिए बढ़ाइ जा सकेगी।
- क्षेत्र :- कियोस्क की नीलामी निगम के आमेर जोन की होगी इसमें क्षेत्र का विभाजन कियोस्क लगाने की सुविधा के लिए किया गया है। क्षेत्र की विस्तृत जानकारी के लिए मानवित्र का अवलोकन किया जा सकता है परन्तु चारदीवारी के अन्दर जयपुर शहर में किसी भी प्रकार का विज्ञापन कियोस्क नहीं लगाया जा सकेगा। आमेर जोन के क्षेत्र का विवरण निम्न प्रकार है:-

आमेर जोन :-

जोरावर सिंह गेट से आमेर रोड कुण्डा बाईपास तक एवं जलमहल चौराहे से पुरानी चूँगी तिराहे, बन्ध की घाटी होते हुए, दिल्ली बाईपास रोड कुण्डा तक का भाग शामिल है।

- निम्न स्थानों पर कियोस्क बोर्ड नहीं लगाए जा सकेंगे।
 - सर्किल के चारों ओर एंव बीच में लगे खम्बों पर।
 - पुराने जयपुर शहर की चार दिवारी क्षेत्र में लगे खम्बों पर।
- खम्बों पर लगाये जाने वाले कियोस्क बोर्ड अधिकृत व्यक्ति या फर्म द्वारा मजबूती के साथ सुरक्षा ध्यान में रखते हुए इस प्रकार लगाने होंगे कि जिससे आम जनता व अन्य किसी को क्षति ना पहुंचे यदि उसकी लापरवाही से किसी का नुकसान होगा तो उससे हर्जे-खर्चे के लिए लाईसेन्सी स्वयं उत्तरदायित्व होगा नगर निगम का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा।
- प्रत्येक कियोस्क बोर्ड की साईज लम्बाई 40 इंच एवं चौड़ाई 30 इंच होगी तथा विलेप लगाकर खम्बे के दोनों ओर कियोस्क लगाये जा सकेंगे। कियोस्क खम्बे पर एक दूसरे के आगे पीछे लम्बवत् लगाने होंगे।
- खम्बों पर कियोस्क बोर्ड विद्युत चलित कम्प्यूटराईज्ड बोर्ड नहीं लगाया जावेगा।
- जिन भागों पर खम्बे वर्तमान में दोनों तरफ लगे हुये हैं उन भागों पर बाद में खम्बे सडक के बीच में लग जाते हैं तो सडक के बीच में खम्बों पर ही विज्ञापन प्रदर्शित करने की स्वीकृति होगी। वर्तमान में जहाँ खम्बे सडक के बीच लगे हुये हैं उन पर ही लाईसेन्सी कियोस्क लगवा सकेगा वहाँ यदि सडकों के दाये ओर बाये और खम्बे लगे भी हैं तो उन पर कियोस्क लगाना वर्जित होगा। किसी भी ट्रांसफार्मर अथवा अस्थाई पोल पर कियोस्क लगाने की स्वीकृति नहीं होती कियोस्क पर फिल्मी पोस्टर लगाना वर्जित होगा। बी.आर.टी.एस. रोड की ओर लगे विद्युत पोलों (बीच में लगे हुए) पर विज्ञापन नहीं किया जाकर रोड के एक तरफ अथवा दोनों तरफ लगे हुए विद्युत पोलों पर विज्ञापन किया जा सकेगा।
- खम्बों पर कियोस्क सडक/डिवाइडर की सतह से न्यूनतम 8 फिट ऊँचा होगा। एक खम्बे पर आगे पिछे कुल दो विज्ञापन कियोस्क बोर्ड लगाए जा सकते हैं। लाईसेन्सी खम्बों व कियोस्क को साफ सुधारा रखेगा। तथा निगम की उपविधियाँ 2004 एवं संशोधित विज्ञापन उपविधियाँ-2008 के अन्तर्गत विज्ञापन प्रदर्शित करेंगा। अस्तील व भड़कीले तथा आपति जनक विज्ञापन प्रदर्शित करना पूर्णतया वर्जित होगा निगम को पूर्ण अधिकार होगा कि उक्त प्रकार के विज्ञापन को बिना पूर्व सूचना के हटा दे। उसका हर्जा-खर्चा लाईसेन्सी से वसूल करे। खम्बे पर किसी प्रकार का कोई पोस्टर नहीं चिपकाया जावेगा ना ही कोई झंडे बैनर्स या छोटे बोर्ड, पतंगे प्लास्टिक बोर्ड आदि लगाये जावेगे। यदि कोई पोस्टर झंडे बैनर पतंगे आदि लग जाये तो उसे लाईसेन्सी द्वारा तुरन्त हटवाया जावे।
- कियोस्क लगाते या उतारते समय व लाईसेन्स अवधि में अगर किसी प्रकार की कोई दुर्घटना होगी तो उसकी जिम्मेदारी लाईसेन्सी की स्वयं की होगी एवं अन्य कियोस्क को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाइ जायेगी। इसमें निगम का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा।
- लाईसेन्सी जो कियोस्क बोर्ड बिजली के खम्बों पर लगाएगा उसके चोरी हो जाने, गुग हो, जाने व खम्बों की संख्या कम हो जाने इत्यादि की जिम्मेदारी लाईसेन्सी की होगी। नगर निगम का कोई दायित्व नहीं होगा।

11. 'न दार्य लाईसेन्स' के समय के बदौं पर तराव होगा तथा लाईसेन्स की समाप्ति होने पर कियोस्क कुम्हा पर एकलाइट से लगाने होने जिससे शहर के सुन्दरता बढ़ी रहे। लाईसेन्स की अधिक स्थित होने पर 3 दिवस में कियोरेक हटाने होगे अन्यथा हटाने का खर्च लाईसेन्स से अमानता में से दसूला जावेगा।
12. नीलामी में भाग लेने वाले इच्छुक व्यवित/फर्म को नकद/बैंक ड्रापट से रुपये 100000/- अक्षरे (एक लाख रुपये भात्र) प्रति जोन के कियोस्क की अमानता राशि निगम कोष में जमा करानी होगी। यह राशि लाईसेन्स अधिक समाप्त होने के बाद ही वापस लौटाई जायेगी व शेष असफल बोलीदाताओं को अमानता राशि बोली समाप्ति के तुरन्त बाद वापिस कर दी जावेगी।
13. 25 प्रतिशत राशि जमा कराने पर उच्चतम बोलीदाता को बोली स्वीकृत होने पर फर्म को कियोस्क (बिजली के खाली पर लगाये जाने वाले छोटे बोर्ड) पर विज्ञापन करने का लाईसेन्स जारी किया जावेगा। नीलामी की शेष 75 प्रतिशत राशि एवं केन्द्र सरकार की सर्विस टैक्स राशि जमा की प्रति लाईसेन्स जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अंदर जमा करानी होगी। आगामी वर्ष 01 मार्च 2015 से 29 फरवरी 2016 के लिए नवीनीकरण चाहे जाने पर लाईसेन्स दिनांक पूर्ण होने से दो माह पूर्व नीलामी राशि पर 10 प्रतिशत बढ़ाकर आने वाले राशि की 25 प्रतिशत राशि के साथ आवेदन प्रस्तुत करना होगा एवं निगम द्वारा नवीनीकरण की स्वीकृति जारी करने के 30 दिवस में शेष 75 प्रतिशत राशि एवं केन्द्र सरकार की सर्विस टैक्स राशि जमा की प्रति जमा करानी होगी। इस प्रकार वर्ष 01 मार्च 2016 से 28 फरवरी 2017 तक के नवीनीकरण के लिये पिछले नवं नवीनीकरण में 10 प्रतिशत की बढ़ाकर आने वाली राशि की 25 प्रतिशत राशि के साथ आवेदन प्रस्तुत करना होगा एवं निगम द्वारा स्वीकृति जारी करने के 30 दिवस के भीतर शेष 75 प्रतिशत राशि एवं केन्द्र सरकार की सर्विस टैक्स राशि जमा की प्रति जमा करानी होगी। नवीनीकरण की राशि समय पर जमा नहीं कराने पर ठेका निरस्त कर दिया जावेगा एवं अमानता राशि जब्त कर ली जावेगी।
14. शर्तों में किसी भी प्रकार का परिवर्तन करने का अधिकार निगम के पास सुरक्षित होगा। राज्य सरकार/नगर निगम द्वारा जारी आवेदन व निर्देश मान्य होंगे, जिसकी पालना लाईसेन्सी को करनी होगी। जयपुर नगर निगम उपविधियाँ 2004 एवं संशोधित विज्ञापन उपविधियाँ-2008 के प्रावधानों की भी पालना करनी होगी।
15. अनुज्ञापत्र के संबंध में किसी भी प्रकार की बकाया राशि अनुज्ञापत्रधारी की राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 1959 एवं राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1959 या पी.डी.आर. एक्ट के तहत वसूल की जा सकेगी।
16. अगर राज्य या केन्द्र सरकार द्वारा विज्ञापन पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कोई कर लगाया जाता है तो लाईसेन्सी द्वारा वहन किया जावेगा जोकि शुल्क के साथ ही जमा करना होगा इसके अभाव में लाईसेन्स अमान्य होगा।
17. स्थान अथवा जोन सीमा विवाद होने पर लाईसेन्सी ऑफिशियल का निर्णय अंतिम होगा जो लाईसेन्सी को मान्य होगा।
18. यदि किसी न्यायालय के निर्देश, सरकार द्वारा प्रतिबंधित रोड़ एवं यातायात में बाधक होने पर अथवा अन्य अडचन/कारण के कियोस्क हटाना पड़े तो ऐसा लाईसेन्सधारी को स्वयं के खर्च पर करना होगा। निगम में जमा राशि में से कियोस्क हटाने अथवा हटने से हुए आर्थिक नुकसान के लिए नगर निगम जयपुर द्वारा किसी प्रकार की राशि का रिफण्ड (पुनर्भरण) नहीं किया जायेगा एवं लाईसेन्सधारी फर्म को नवीनीकरण शुल्क की पूर्ण राशि जमा करवानी होगी।


लाईसेन्सिंग ऑफिशियल एवं आयुक्त (राजस्व)
नगर निगम जयपुर
 २०८